

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]
No. 4]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2007/श्रावण 30, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST, 21, 2007/SRAVANA 30, 1929

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2007

का.नि.आ. 5(अ).—छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के कतिपय नियमों का प्रारूप छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 31 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 19 अप्रैल, 2007 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 2(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 19 अप्रैल, 2007 के पश्चात् 22 मई, 2007 तक विभिन्न तारीखों को छावनी परिषदों द्वारा जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी निर्वाचन नियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में छावनियों पर है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,—

- (क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
- (ख) "बोर्ड" का वही अर्थ है जो छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 2 के खंड (ख) में है;
- (ग) "छावनी" से संबद्ध छावनी अभिप्रेत है;
- (घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से छावनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "भ्रष्ट आचरण" से अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट कोई आचरण अभिप्रेत है;
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों की दूसरी अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;
- (छ) "अध्यक्ष" से छावनी बोर्ड का अध्यक्ष या जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां उस स्टेशन का कमान आफिसर अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः है।

3. छावनी का वार्डों में विभाजन.—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

- (क) बोर्ड छावनी का वार्डों में विभाजन करने के लिए एक प्रारूप योजना प्रकाशित करेगा;
- (ख) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा प्रारूप योजना अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, छावनी बोर्ड कार्यालय के सूचना पट्ट और स्थानीय परिचालन रखने वाले दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा;

(ग) बोर्ड आक्षेपों और सुझावों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् छावनी को वार्डों में विभाजित करने के लिए एक अंतिम योजना तैयार करेगा;

(घ) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में बोर्ड द्वारा छावनी को वार्डों में विभाजित करते हुए, अग्रेषित अंतिम योजना ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह समुचित समझे, प्रकाशित करेगा।

4. छावनी में प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या.—किसी छावनी के प्रत्येक वार्ड से किसी निर्वाचन द्वारा केवल एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.—(1) प्रत्येक छावनी में उस प्रतिशतता के आधार पर जो उनकी अद्यतन जनगणना के अनुसार छावनी की कुल जनसंख्या का है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे और ऐसे आरक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता वह होगी जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किसी छावनी में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशतता से अधिक हो जाती है और वे उच्चतर आरक्षण के हकदार हो जाते हैं, तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारण करने में यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या घटकर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता के तीन प्रतिशत से कम हो जाती है तो आंकों को उन स्थान या स्थानों के आरक्षण के लिए जिनके लिए वे अन्यथा हकदार होते, गणना में नहीं लिया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान या स्थानों की संख्या उस वार्ड या उन वार्डों को आबंटित की जाएगी जिनमें यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिकतम है।

(3) प्रत्येक छावनी में आरक्षित वार्डों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन को ध्यान में लाए बिना पूर्ण पांच वर्ष के लिए या अगले सामान्य निर्वाचन तक के लिए प्रभावी होगा।

6. महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण.—

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल आरक्षित संख्या का एक तिहाई से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की, यथास्थिति, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(ख) जहां कहीं, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल एक वार्ड आरक्षित है वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

(ग) प्रत्येक छावनी में किसी सामान्य निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है), महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(घ) इस धारा के अधीन आरक्षित स्थान पूरे पांच वर्ष के लिए या अगले सामान्य निर्वाचन के लिए, जो भी बाद में हो, किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन को ध्यान में लाए बिना प्रभावी होंगे।

(ङ) खंड (क) और खंड (ग) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या की गणना करते समय आधे से कम भाग को गणना में नहीं लिया जाएगा और आधे से अधिक भाग को एक समझा जाएगा।

(च) (i) किसी छावनी में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) नियम 7 के अनुसार छावनी में विभिन्न वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(ii) प्रत्येक छावनी में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

7. किसी छावनी के विभिन्न वार्डों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम की रीति.—

(क) पहली बार किसी छावनी में महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण करते समय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों के बीच लाट निकाल के विभिन्न वार्डों के लिए आबंटित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अनुसार आरक्षण के पश्चात् शेष स्थानों की बाबत महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न शेष वार्डों के बीच लाट निकाल के आबंटन किया जाएगा।

(ग) प्रवर्ग 4 की छावनियों की दशा में दो वार्डों में से एक वार्ड पश्चात्पूर्व सामान्य निर्वाचन में विकल्प के रूप में महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रवर्ग 4 छावनी से भिन्न किसी छावनी में प्रत्येक पश्चात्पूर्व सामान्य निर्वाचन के दौरान खंड (क) और खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा किन्तु वे सभी वार्ड जो ठीक पूर्वतर निर्वाचन में आरक्षित किए गए थे, आरक्षण के लिए लाट निकालते समय सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(ङ) (i) महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए लाट (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) अध्यक्ष द्वारा निकाला जाएगा।

(ii) लाट निकालने का स्थान, तारीख और समय अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व व्यापक परिचालन रखने वाले स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

(iii) लाट निकालने के लिए अभ्यास बोर्ड के सदस्यों और साधारण जनता जो कार्यवाहियों का साक्षी बनना चाहती है, के समक्ष किया जाएगा।

अध्याय 2

निर्वाचक नामावलियां

8. रजिस्ट्रीकरण.—कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति किसी वार्ड के लिए एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

9. निर्वाचक की अर्हता.—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचक के रूप में दर्ज किए जाने के लिए पात्र है और उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन अन्यथा निरहित नहीं है, निर्वाचक के रूप में दर्ज किया जाएगा।

10. नामावलियों को तैयार करना.—(1) बोर्ड या जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां स्टेशन का कमान आफिसर प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को अंग्रेजी में या उस जिले में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा में जिसमें छावनी अवस्थित है, प्ररूप 1 में निर्वाचक नामावली तैयार करेगा।

(2) निर्वाचक नामावलियां प्रत्येक वार्ड के लिए पृथक भागों में विभाजित की जाएंगी।

(3) नामावली के प्रत्येक भाग में निर्वाचकों के नाम मकान संख्या के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए टुकड़ियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोई भवन या यूनिट लाइन को मकान समझा जाएगा।

(4) निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग में निर्वाचकों के नाम यथासाध्य एक संख्या से आरंभ होकर संख्याओं की पृथक श्रृंखला के साथ क्रमानुसार संख्यांकित किए जाएंगे।

11. निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित करने के लिए निर्वाचकों के नाम विनिश्चित करने की रीति.—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए छावनी में गृह अधिभोगियों को प्ररूप 1क में अनुरोध पत्र भेज सकेगा और ऐसे किसी पत्र को प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसमें मांगी गई जानकारी अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूनिट लाइनों या अन्य भवनों में निवास कर रहे सशस्त्र बलों के सदस्यों और अन्य रक्षा कार्मिकों के नाम, जो छावनी की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हैं, स्टेशन के कमान आफिसर या यूनिट के कमान आफिसर से, जिसे भी वह आवश्यक समझे, अभिनिश्चित करेगा।

12. निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की सूचना.—(1) नियम 10 के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां, छावनी बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित की जाएंगी और उसी समय उनकी तैयारी-सूचना प्ररूप (2) में उक्त कार्यालय के सूचना पट्ट पर और समस्त छावनी के ऐसे स्थानों पर

जहां प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक ऐसा स्थान है, बोर्ड के रूप में जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां स्टेशन कमान आफिसर विनिर्दिष्ट करे, उस स्थान पर संप्रदर्शित की जाएंगी।

(2) सूचना में वह रीति भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसमें दावे और आक्षेप किए जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा।

अध्याय 3

दावे और आक्षेप

13. दावे और आक्षेप.—(1) निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक दावा और उसमें किसी प्रविष्टि के लिए कोई आक्षेप नियम 12 में निर्दिष्ट नोटिस के प्रकाशन की तारीख से बीस दिन की अवधि के भीतर किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में किया गया प्रत्येक दावा—

(क) प्ररूप 3 में होगा।

(ख) नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने की वांछ करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम नामावली के उस भाग में पहले से ही सम्मिलित है, जिसमें दावाकर्ता अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक आक्षेप—

(क) प्ररूप 4 में होगा।

(ख) केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम उस नामावली में पहले से ही सम्मिलित है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम नामावली के उस भाग में पहले से ही सम्मिलित है, जिसमें आक्षेप किया गया नाम प्रदर्शित होता है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(4) नामावली की किसी प्रविष्टि में किसी विशिष्टि के प्रति प्रत्येक आक्षेप—

(क) प्ररूप 4-क में होगा; और

(ख) केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है।

(5) प्रत्येक दावा या आक्षेप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(6) यदि आक्षेपकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने से संबंधित कोई आक्षेप है तो आक्षेप दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी ऐसे दावे या आक्षेप को अस्वीकृत कर सकेगा जो इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या प्ररूप तथा रीति में नहीं किया गया है।

14. निर्वाचक नामावलियों में संशोधनों की सूची का प्रकाशन.—मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे किसी व्यक्ति के नाम निर्वाचक नामावली से हटा सकेगा जिनके बारे में वह जानता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और किसी दावे के अनुसरण में संशोधन भी कर सकेगा :

परन्तु यह कि वह नियम 15 में निर्दिष्ट दावों और आक्षेपों की सूची के साथ ऐसे सभी संशोधनों की सूची प्रकाशित करेगा ।

15. दावों और आक्षेपों की सूची और उनकी सुनवाई का समय तथा स्थान का प्रकाशन.—(1) नियम 13 के उप-नियम (7) या नियम 14 के अधीन निपटारा न किए गए सभी दावों और आक्षेपों की एक सूची प्ररूप 5 में उसी रीति में जो नियम 12 की सूचना में है, दावों और आक्षेपों की प्राप्ति के लिए नियम अन्तिम तारीख के पश्चात् 3 दिन के अपश्चात् प्रकाशित की जाएगी ।

(2) सूची में ऐसे दावों या आक्षेपों की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना दी जाएगी ।

(3) सुनवाई का सामान्यतया स्थान छावनी बोर्ड का कार्यालय होगा और सुनवाई की तारीख इस उपनियम के अधीन प्रकाशन की तारीख के पन्द्रह दिन के पूर्व और तीस दिन के पश्चात् नहीं होगी ।

(4) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई किए जाने के समय ही सुनवाई की सूचना के साथ आक्षेप की प्रति ऐसे सभी व्यक्तियों को भेजी जाएगी जो आक्षेपों के विषय हैं वहां के सिवाय जहां आक्षेपकर्ता स्वयं ही सुनवाई का विषय है ।

(5) सूचना की तामील, यथास्थिति, व्यक्ति के निवास स्थान, कारोबार के स्थान पर छावनी बोर्ड के कर्मचारीवृन्द के माध्यम से जो सामान्यतः उस प्रयोजन के लिए नियोजित हैं या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जा सकेगी ।

16. दावों और आक्षेपों की सुनवाई तथा उन पर आदेश जारी करना.—(1) अध्यक्ष या कुछ अन्य व्यक्ति जो निर्वाचित सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्देशित बोर्ड का कर्मचारी नहीं हैं नियम 15 के अधीन प्रकाशित सभी दावों या आक्षेपों या नियम 14 के अधीन संशोधनों के विषयों को वहन करेंगे ।

(2) साक्ष्य, दस्तावेजी या मौखिक, किसी दावे या आक्षेप के संबंध में नियम 15 के अधीन सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) विधि व्यवसायी द्वारा उपसंज्ञात होना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशित, दावे या आक्षेप के पक्षकार या पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो उसकी बाबत प्रस्तुत किया जाए और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, अपने विनिश्चय के लिए यथासंभव संक्षिप्त रूप से कारणों का कथन करते हुए उस पर लिखित में आदेश पारित करेगा और ऐसा आदेश अन्तिम होगा जब वह अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो किन्तु वह उसके नामनिर्देशित द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को दो दिन के अंदर की गई अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन होगा ।

17. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियम 16 के अधीन पारित किए गए आदेशों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का संशोधन करेगा और उन्हें मुद्रित करके या अन्यथा उनकी अंग्रेजी और उस जिले की भारतीय भाषा में उतनी प्रतियां बनाकर, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों, तैयार करेगा ।

(2) निर्वाचक नामावली की एक प्रति छावनी बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी और उसकी सूचना संपूर्ण छावनी के भीतर नियम 12 की, उस रीति में प्रत्येक वर्ष की 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी :

परन्तु यह कि सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा यदि मूल रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावली में कोई संशोधन नहीं है :

परन्तु यह और कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी छावनी का भाग बनने वाले किसी स्थानीय क्षेत्र से ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के नामों को हटा देगा जब अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् बोर्ड के नियंत्रण के अधीन ऐसे क्षेत्र बने न रह गए हों ।

(3) यदि निर्वाचक नामावली क्रमशः नियम 10 या नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीखों को तैयार की गई हैं या अन्तिम रूप से प्रकाशित नहीं की गई हैं तो केन्द्रीय सरकार बोर्ड को या जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, स्टेशन कमान आफिसर को ऐसी तारीखों को जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने या अन्तिम रूप से प्रकाशित कराने का निदेश दे सकेगी और यथास्थिति, बोर्ड या स्टेशन कमान आफिसर ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति जिसका नाम वार्ड में अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसी युक्तियुक्त कीमत पर जो बोर्ड या जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, स्टेशन कमान आफिसर द्वारा नियत की जाए, अपने वार्ड के नामावली की एक प्रति का क्रय करने का हकदार होगा ।

18. वार्डों के परिवर्तन होने पर नामावलियों को पुनः व्यवस्थित करना.—(1) जहां नियम 17 के अधीन किसी छावनी के लिए निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के पश्चात् छावनी का विभाजन वार्डों में परिवर्तित किया जाता है वहां अध्यक्ष, वार्डों के परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तित किए गए वार्डों के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के नामों को पुनः व्यवस्थित कराएगा ।

(2) इस प्रकार पुनः व्यवस्थित नामों के साथ नामावलियां नियम 12 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएंगी और ऐसे प्रकाशन पर वे परिवर्तित वार्डों की निर्वाचक नामावलियां हो जाएंगी ।

19. निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करना.—(1) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नियम 17 के अधीन अन्तिम रूप से यथा

प्रकाशित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है, नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के अनुसार आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन प्ररूप 3 में दो प्रतियों में अध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अधीन अधिसूचना द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचन की तारीख निदेशित किए जाने के पश्चात् और नियम 20 के अधीन यथा अपेक्षित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के पश्चात् तीन दिन के अवसान से पूर्व किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्राप्त होने पर तुरन्त उसकी एक प्रति छावनी बोर्ड के सूचना पट्ट पर इस सूचना के साथ लगाएगा कि सूचना के ऐसे लगाए जाने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् आवेदन और उस पर प्राप्त आक्षेपों का उस रीति में सुनवाई और उनका निपटारा किया जाएगा जो नियम 16 में अधिकथित है ।

(5) अध्यक्ष का ऐसी सुनवाई के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है, तो वह निर्वाचक नामावली में आवेदक का नाम दर्ज किए जाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निदेश देगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन दिया गया प्रत्येक निदेश अन्तिम होगा ।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जहां इन नियमों के अधीन कोई अपील नहीं की गई है वहां उपनियम (5) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय 4

मतदान, नामांकन और संवीक्षा

20. निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना.—अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी निर्वाचन की तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र बोर्ड या जहां बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां स्टेशन कमान आफिसर नियम 12 में रीति के अनुसार निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा—

- (क) मतदान की तारीख, समय और स्थान,
- (ख) निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या महिलाओं के लिए आरक्षित वाडों के ब्यौरे,
- (ग) नामांकनों की प्राप्ति के लिए समय और स्थान,
- (घ) नामांकनों की संवीक्षा के लिए समय और स्थान,
- (ङ) वह प्रति जिसका अभ्यर्थियों द्वारा चयन किया जा सकेगा और वे निर्बन्धन जिनके अधीन उनका चयन होगा; और
- (च) कोई अन्य विषय जो मतदाताओं और अभ्यर्थियों की जानकारी और सहायता के लिए आवश्यक हों :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष से इस आशय की सिफारिश प्राप्त होने पर ऐसे निर्वाचन की तारीख को बाद की तारीख के लिए चालीस दिन से अनधिक के लिए स्थगित कर सकेगी यदि—

- (i) निर्वाचन की तारीख लोक सभा, राज्य विधान सभा या किसी पार्श्वस्थ (नजदीकी) स्थानीय प्राधिकरण के लिए निर्वाचन की तारीख से मेल खा रही है या उसके बिल्कुल नजदीक है,
- (ii) कोई बलवा या खुली हिंसा हो गई है या ऐसे बलवा या हिंसा के कारण छावनी में तनाव है; या
- (iii) कोई प्राकृतिक आपदा से छावनी प्रभावित है : परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक की मद (ii) और (iii) के संबंध में अध्यक्ष यदि रिटर्निंग आफिसर से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आवश्यक समझता है तो वह छावनी के किसी वार्ड में मतदान को स्थगित कर सकेगा यदि—
- (क) मतदान की पूर्व संध्या पर या मतदान की तारीख को उस वार्ड या उसके किसी मतदान केन्द्र पर कोई बलवा या खुली हिंसा हो जाती है; या
- (ख) कोई आकस्मिक प्राकृतिक आपदा छावनी को प्रभावित करती है :

परन्तु यह भी कि निर्वाचन या मतदान के ऐसे स्थगन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करके उस तारीख को नियत कर सकेगी जिसको ऐसा स्थगित निर्वाचन या मतदान कराया जाएगा और ऐसी तारीख अधिसूचित किए जाने के पश्चात् अध्यक्ष, स्थानीय रूप से इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में इन नियमों में विनिर्दिष्ट नए सिरे से औपचारिकताओं के बिना इस प्रकार स्थगित निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय अधिसूचित करेगा ।

21. मतदान केन्द्र और उनके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायित्व.—(1) अध्यक्ष, ऐसे स्थान और स्थानों को नियत करेगा जिन्हें वह मतों को अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए मतदान केन्द्रों के रूप में उचित समझे और ऐसे क्षेत्र अधिकथित करेगा जिस पर प्रत्येक मतदान केन्द्र सेवा प्रदान कर सके :

परन्तु प्रत्येक वार्ड के लिए कम से कम एक मतदान केन्द्र होगा ।

(2) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करेगा जो निर्वाचन के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अधिकारी को नियुक्त करेगा जो मतदान व्यवस्थाओं का भारसाधक होगा तथा वह मतदान दिवस के दिन अपने मतदान केन्द्र पर निष्पक्ष निर्वाचन संचालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) प्रत्येक मतदान अधिकारी अध्यक्ष की मंजूरी के अधीन रहते हुए, एक या दो सहायक नियुक्त कर सकेगा जो मतदान दिवस के दिन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों और जिसके आचरण के लिए वह उत्तरदायी होगा ।

357695/07-2

22. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन और निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी प्ररूप 6 में नामांकन पत्र द्वारा नामांकित किया जाएगा ।

(2) नामांकन पत्र पर उस वार्ड के किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा जिसके लिए अभ्यर्थी का खड़े होने के लिए प्रस्ताव है प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि वह नामांकन के लिए अपनी अनुमति देता है ।

(3) कोई निर्वाचक वार्ड में एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्थापक के रूप में कार्य नहीं करेगा ।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी एक व्यक्ति को मुख्तारनामा द्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा और ऐसा अभिकर्ता अभ्यर्थी के लिए तब तक कार्य करने के लिए हकदार होगा जब तक इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंध न किया जाए ।

(5) जहां अभ्यर्थी द्वारा या उसके निमित्त उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या उसके प्रस्थापक द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पहले प्रदाय किए गए नामांकन पत्र में प्रतीक के बारे में की गई घोषणा और प्रतीक के बारे में कोई अन्य घोषणा पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा विचार में ली जाएगी चाहे वह नामांकन पत्र इन नियमों के उपबंधों के अधीन खारिज कर दिया गया हो ।

23. नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण.—(1) प्रत्येक नामांकन पत्र छावनी बोर्ड कार्यालय पर रिटर्निंग आफिसर को उस दिन और उतने घंटों के भीतर जो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके प्रस्थापक द्वारा नियम 20 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) समुचित घंटों के भीतर प्रस्तुत न किया गया या इस उपनियम में निर्दिष्ट से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया कोई नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई अभ्यर्थी या इस निमित्त उसका निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्थापक उसी वार्ड में कुल मिलाकर चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा ।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर के पास नकद तीन हजार रुपए की रकम जमा करेगा या जमा करवाएगा :

परन्तु यह कि जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है वहां ऐसी जमा रकम एक हजार पांच सौ रुपए केवल होगी :

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं वहां केवल एक जमा राशि पर्याप्त होगी ।

(5) किसी अभ्यर्थी का कोई नामांकन जिसके साथ अपेक्षित जमा राशि नहीं है, खारिज कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन अभिकर्ता" से उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा लिखित में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

24. नामांकन पत्रों की प्रारंभिक परीक्षा—जब कोई नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर इसकी परीक्षा करेगा और

इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नामांकन पत्र में प्रतीत होने वाली त्रुटियों के किन्हीं बिंदुओं के बारे में सूचित करेगा, किंतु रिटर्निंग आफिसर के पक्ष पर ऐसी सूचना देने में असफल होने पर और सूचना में कोई त्रुटि या भूल होने पर कार्यवाहियों की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

25. विधिमान्य नामांकन और नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए समय और स्थान.—नामांकन पत्रों के प्राप्त होने के समय के तुरन्त एक घंटे पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 7 में अभ्यर्थियों की सूची किन्हीं उनको छोड़कर जिनके नामांकन पत्र नियम 23 के उपनियम (2) और उपनियम (5) के अधीन खारिज कर दिए गए हैं, तैयार करेगा और उसे छावनी बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत समय और स्थान की सूचना सहित लगाएगा ।

26. नामांकन पत्रों की संवीक्षा और आक्षेप—(1) नियत तारीख और समय पर रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा करेगा ।

(2) अभ्यर्थी से भिन्न कोई व्यक्ति, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रस्थापक उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे और उनको नामांकन पत्रों की परीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी ।

(3) नामांकन पत्र के प्रति आक्षेप मौखिक या लिखित में हो सकेगा और केवल नामांकन के प्ररूप से संबंधित नहीं होगा बल्कि ऐसे नामांकन से संबंधित अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन या अनुपालन से संबंधित भी होगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए खड़े होने की या प्रस्थापक को नामांकित करने की पात्रता के प्रति आक्षेप भी है :

परन्तु किसी अभ्यर्थी या प्रस्थापक के प्रति कोई आक्षेप जो निर्वाचक नामावली में उसके रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और नियम 13 में निर्दिष्ट किसी बात पर विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी नामांकन पत्र में प्रतीकों से संबंधित घोषणा को पूरा करने में असफल रहने या कोई त्रुटि होने के संबंध में किए गए मात्र किसी आक्षेप पर नामांकन पत्र को खारिज करने के लिए आधार के रूप में विचार नहीं किया जाएगा और जब कोई ऐसा आक्षेप किया जाता है तब रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी द्वारा जिसने नामांकन पत्र फाइल किया है या जिनकी ओर से नामांकन पत्र फाइल किया गया है, नामांकन पत्र को पूरा कराएगा या त्रुटि को दूर करेगा ।

(4) प्रत्येक आक्षेप पर किया गया विनिश्चय नामांकन पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा और यदि कोई नामांकन पत्र खारिज किया जाता है तो खारिज किए जाने के लिए संक्षिप्त कथन उस पर अभिलिखित किया जाएगा और रिटर्निंग आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(5) यदि रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने में असमर्थ है तो वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी निर्वाचित सदस्य या बोर्ड के सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किया जाएगा :

परन्तु यह कि व्यथित पक्षकार अध्यक्ष को ऐसे नाम निर्देशिती के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय के दो दिन के भीतर अपील कर सकेगा ।

27. अभ्यर्थिता को वापस लेना—(1) कोई अभ्यर्थी नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन नामांकन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत अगले दिन चार बजे दोपहर से पूर्व प्ररूप 7 क में लिखित में उसके द्वारा हस्ताक्षरित और उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिदत्त सूचना द्वारा अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा :-

परन्तु यदि संवीक्षा रिटर्निंग आफिसर के नामनिर्देशिती द्वारा की गई है और व्यथित व्यक्ति अध्यक्ष के समक्ष अपील करता है, ऐसी दशा में वापसी की तारीख वह तारीख होगी जो अध्यक्ष द्वारा अपील के विनिश्चय किए जाने के पश्चात् का दिन हो ।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर उस पर वह तारीख और समय नोट करेगा जिसको वह परिदत्त की गई थी ।

(3) रिटर्निंग आफिसर वापसी की सूचना की वास्तविकता और उपनियम (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में अपना समाधान हो जाने पर छावनी बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्ररूप 7ख में एक नोटिस लगवाएगा ।

(4) अभ्यर्थी जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की एक सूचना दी है, सूचना को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुनः नामनिर्देशित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 5

मतदान, मतदान आफिसर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मतदान कराए जाएगा और मतों की गणना

28. सविरोध या अविरोध निर्वाचन की प्रक्रिया.—यदि नियम 27 के उपनियम (1) में उपबंधित वापसी की अवधि समाप्त होने के पश्चात्—

(क) किसी वार्ड में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, वहां मतदान होगा;

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या एक है, रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।

29. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के स्थान धारण करने की पात्रता, जो उनके लिए आरक्षित नहीं है—अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य किसी स्थान को धारण करने के लिए अनर्हित नहीं होगा जो जातियों या जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं है यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे स्थान को धारण करने के लिए अन्यथा अर्हता रखता/रखती है ।

30. महिलाओं के लिए अनारक्षित स्थान को धारण करने के लिए महिला अभ्यर्थियों की पात्रता—कोई महिला अभ्यर्थी किसी स्थान को धारण करने के लिए अनर्हित नहीं होगी जो उसके लिए आरक्षित नहीं है यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे स्थान को धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है ।

31. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और निर्विरोध निर्वाचन की दशा में परिणामों की घोषणा—(1) निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर वार्डवार प्ररूप 7ग में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा जो निर्वाचन के लिए खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थियों की सूची भी, यदि कोई हो, जो नियम 28 के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं ।

(2) नियम 12 के अधीन किसी सूचना के रूप में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियां समान रीति से प्रकाशित होंगी और वह मतदान की तारीख से पहले बीस दिन के पश्चात् नहीं होंगी ।

(3) अभ्यर्थियों के नाम जो निर्वाचन के लिए खड़े हो रहे हैं, प्ररूप 7ग में वर्णमाला क्रम में तैयार की जाएंगी और वर्णमाला क्रम में अभ्यर्थियों के उपनाम के निर्देश में अवधारित होगा अन्य अभ्यर्थियों के मुख्य नाम और उपनाम होंगे ।

(4) किसी निर्वाचन में जहां मतदान आवश्यक हो जाता है, रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्रों में व्यक्त प्रतीकों की रूचि पर विचार करेगा, और—

(क) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को विभिन्न प्रतीक आर्बटित करेगा जो उसकी इच्छा को यथासाध्य संभव उसकी इच्छा के अनुरूप होगा; और

(ख) यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने एक से अधिक अभ्यर्थियों ने एक ही प्रतीक के लिए अपनी अधिमान्यता उपदर्शित की है तो लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि वह प्रतीक ऐसे अभ्यर्थियों में से किसको आर्बटित किया जाएगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक का आर्बटन अंतिम होगा ।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अधिकर्ता को आर्बटित प्रतीक की सूचना तत्काल दी जाएगी और रिटर्निंग आफिसर उसे एक नमूना भी देगा ।

32. मतदान से पहले अभ्यर्थी की मृत्यु—यदि कोई अभ्यर्थी जो इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट है, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् और मतदान के प्रारंभ होने के पहले रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्यों का समाधान हो जाने पर संबंधित वार्ड के लिए मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और अध्यक्ष को तथ्यों की सूचना देगा और उक्त वार्ड में निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यवाहियों को किसी नए निर्वाचन के लिए नई कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के मामले में जिसका नामनिर्देशन मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के संबंध में विधिमाम्य था उसके लिए उनका और नामनिर्देशन, आवश्यक नहीं होगा कि यदि अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति के लिए नियत तारीख को या उससे पहले यह सूचित कर देता है कि उसकी अभ्यर्थिता बनी रहे, पर्याप्त होगा ।

33. जमाओं का समपहरण और वापसी—(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन नियम 23 की उप-धारा (4) के

अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा किए गए जमा बोर्ड को समपहरित होंगे और छावनी निधि में जमा कर लिए जाएंगे, यदि कहीं निर्वाचन का मतदान होता है और अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता तथा उसे प्राप्त विधि-मान्य मतों की संख्या वार्ड में सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या का 1/6 से अधिक प्राप्त नहीं होता है।

(2) किसी अभ्यर्थी द्वारा किया गया जमा—

- (क) जिसका नामनिर्देशन निरस्त हो गया है या विधिविरुद्ध घोषित है; या
- (ख) उसकी अभ्यर्थिता नियम 27 के उप-नियम (1) में उपबंधित रीति में और विनिर्दिष्ट समय से पहले वापस ले ली है; या
- (ग) जो मतदान प्रारंभ होने से पहले मर गया है; या
- (घ) यथाशीघ्र समय के भीतर नियम 51 के अधीन निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् अभ्यर्थी (या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को) वापस होगी।

34. मतदान आफिसर के कर्तव्य—(1) प्रत्येक मतदान आफिसर अपने मतदान केन्द्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियुक्त होगा। वह यह देखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष संचालित हो और एक समय में प्रवेश करने वाले निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करेगा और सभी अन्य व्यक्तियों को, स्वयं उसके सहायकों के अभ्यर्थियों और उनके मतदान अधिकर्ताओं को कर्तव्यारूढ़ पुलिस और ऐसे व्यक्तियों को, जो मतदाताओं की अनन्यता के लिए आवश्यक हैं, के सिवाय, अपवर्जित करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान आफिसर को छावनी के वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति जो उसके मतदान केन्द्र की होगी जिसमें एक अतिरिक्त स्तंभ जारी होगा जो किए गए मतपत्र के क्रम संख्यांक अभिलेख करने के लिए होगा और उसे मतपेटियों और मतपत्रों की पर्याप्त संख्या भी मतपत्रों पर सुभिन्न चिन्हों के लिए स्टांपन के लिए उपकरण और निर्वाचकों को मतपत्र पर चिन्हांकन को निर्वाचक के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित होगा—

- (क) वार्ड को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना जिसमें निर्वाचक मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार है और जब वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो तो इस प्रकार हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी; और
- (ख) अभ्यर्थियों के नाम जिनमें उनके प्राधिकृत प्रतीक भी होंगे, की सूची की एक प्रति;

(4) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित होंगे, जहां निर्वाचक अपने मतों को जिसकी ओट में अवलोकन करके अपना मत अधिलिखित कर सकेगा।

35. मतपेटी और मतदान के लिए उसकी तैयारी—

(1) प्रत्येक मतपेटी किसी मतदान केन्द्र जो मतदान केन्द्र में प्रयोग

की जाती है, इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे उसमें कोई पत्र एक बार डाल दिया जाए तो बिना उसे खोले हुए बाहर निकाला न जा सके।

(2) मतदान के प्रारंभ होने के तत्काल पहले मतदान आफिसर खाली पेटियों को वहां ऐसे व्यक्तियों को दिखाकर पेटियों को बंद करेगा, जो वहां उपस्थित हों और मतपेटियों पर ऐसे स्थान पर ऐसी रीति में मुद्रांकित करेगा कि उनकी सील तोड़े बिना उसे खोलने से रोका जा सके।

(3) मतदान आफिसर मतदान पेटि की चाबी को भी ऐसी रीति में, यदि कोई हों, को मुद्रांकित करेगा जो उसके उपयोग को रोकेगी और चाबी उसके पास रखी जाएगी।

(4) मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई मत पेटि के दोनों ओर बाहर और अंदर लेबल होगा और उस पर निम्नलिखित चिन्ह होगा :—

- (i) वार्ड की संख्या;
- (ii) पोलिंग मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक, यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो;
- (iii) मतपेटी का क्रम संख्यांक (मतदान की समाप्ति पर केवल मतपेटी के बाहर लेबल पर भरा जाएगा); और
- (iv) मतदान की तारीख।

(5) इस नियम के अधीन यथाउपबंधित रूप में मतपेटी बंद, मुहरबंद और सुरक्षित रूप में लेबल कराई जाएगी और मतदान आफिसर द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

36. इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग.—यदि बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मतदान मशीनों का उपयोग किया जाएगा, यथास्थिति, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के संचालन में अंतर्विलित कोई अन्य ऐसा प्राधिकरण ऐसे नियमों या विनिर्देशों को जो अन्य इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित रिटर्निंग आफिसर के निरंतर पर्यवेक्षण या निर्देशन के अधीन छावनी बोर्ड के निर्वाचन को लागू होंगे :

परंतु इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के मतदान में उपयोग द्वारा संचालित निर्वाचनों की दशा में ऐसी इलैक्ट्रॉनिक मशीनों के उपयोग द्वारा संचालित मतदान की सीमा तक मतपत्र के उपयोग से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए "इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन" से ऐसी मशीन या साधन अधिप्रेत है जिसे वह इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रचालित या मत देने के लिए या अधिलिखित करने के लिए अन्यथा उपयोग होती हो।

37. मतपत्र.—(1) प्ररूप 8 में अंग्रेजी या राजभाषा में या राज्य में सामान्यतया उपयोग होने वाली भाषा में या दोनों में मुद्रित होगा और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीक दर्शित होंगे।

(2) प्रत्येक मतपत्र पर इसके पीछे क्रमिक रूप से संख्यांकित होंगे :

परंतु नियम 42 में निर्दिष्ट निविदत्त मतपत्र विभिन्न रंग के कागज पर मुद्रित होगा जिस पर उसके स्वयं के क्रम संख्यांक होंगे।

(3) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र पर उसी क्रम में व्यवस्थित होंगे जो नियम 31 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है।

(4) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा।

(5) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को उनके नामों के सामने एक वृत्त द्वारा 'अ' अक्षर द्वारा या महिला अभ्यर्थियों को उनके नामों के सामने एक वृत्त में 'म' अक्षर द्वारा सुभिन्न किया जाएगा।

38. मतदान केन्द्र में या उसके निकट संयाचना का प्रतिषेध.—(1) कोई व्यक्ति, किसी निर्वाचन के लिए उस मतदान क्षेत्र में मतदान के निष्कर्ष के लिए नियत घंटे से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र में—

- (क) किसी निर्वाचन के संबंध में कोई लोक प्रतिनिधित्व, बैठक या जुलूस संयोजित करना, बुलाना या उपस्थित होने या उसमें भाग लेना या भाषण देना नहीं करेगा;
- (ख) कोई निर्वाचन सामग्री चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य साधन द्वारा जनता को प्रदर्शित नहीं करेगा; या
- (ग) जनता के सदस्यों को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी निर्वाचन सामग्री को पब्लिक में प्रचालित करने के लिए उदाहरण कोई संगीत समारोह या उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था हो या कोई किसी नाट्य प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मनोविनोद के किसी अन्य साधन द्वारा नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति मतदान की तारीख को किसी मतदान केन्द्र के भीतर निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य या किसी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में जो मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर हैं, नहीं करेगा, अर्थात् :—

- (क) मतदान के लिए संयाचना; या
- (ख) किसी अभ्यर्थी को मत देने के लिए याचना; या
- (ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए वोट न देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या
- (घ) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मत न देने के लिए प्रेरित करना।
- (ङ) निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना या इशतहार (किसी शासकीय सूचना या इशतहार से भिन्न) को प्रदर्शित करना।

(3) कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में, मतदान की तारीख को—

- (क) किसी मतदान केन्द्र में प्रवेश या सार्वजनिक या निजी स्थान में जो उसके निकट है मानव स्वर को बढ़ाने वाले या उसे पुनः उत्पादित करने के लिए किसी उपकरण

जैसे किसी मैगा फोन या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा या उसे नहीं चलाएगा; या

(ख) किसी मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश पर या उसके निकट किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर नारे लगाना या अन्यथा कोई अव्यवस्थित कार्य नहीं करेगा।

जिससे मतदान केन्द्र पर आने वाले किसी व्यक्ति को कोई संताप उत्पन्न हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो।

(4) कोई व्यक्ति जो इस नियम के उपबंध में किसी का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो 1000/- रुपए तक का हो सकेगा।

39. मतदान.—(1) मतदान व्यक्तिगत रूप से होगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वार्ड का कोई निर्वाचन जो मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ होने के कारण या सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकता के अन्य कारणों में मतदान केन्द्र में वोट देने में लिए उपस्थित होने में असमर्थ है जहां वह मत देने का हकदार है, रिटर्निंग आफिसर को कोई आवेदन उस वार्ड में मतदान के लिए नियत तारीख की पहली तारीख से कम से कम सात दिन पहले डाक मतपत्र द्वारा वोट देने की अनुज्ञा के लिए आवेदन देगा।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन में आवेदक का नाम, उसका पता और उस वार्ड के लिए निर्वाचक सूची में उसका क्रम संख्यांक विनिर्दिष्ट होगा।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि वार्ड में मत देने के लिए हकदार आवेदक का दावा सही है तो वह आवेदन को अनुज्ञात करेगा और और डाक मतपत्र द्वारा निर्वाचन में उसको वोट देने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देगा उसके पश्चात् आवेदक अपना वोट निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा और वह किसी अन्य रीति में वोट देने का हकदार नहीं होगा।

(5) प्रत्येक निर्वाचक अभ्यर्थी की संख्या का विचार किए बिना केवल एक मत देगा।

(6) (क) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक निर्वाचक के मामले में जो डाक मतपत्र द्वारा निर्वाचन में मत देने के लिए उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञात किया गया है। प्रत्येक ऐसे निर्वाचक को प्ररूप 8 के साथ मतपत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा जिसके साथ निम्नलिखित होंगे—

(i) प्ररूप 8क में एक खाली घोषणा,

(ii) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप 8ख में उसके सम्मुख मतदान पत्र की संख्या लिफाफे पर लिखेगा,

(iii) प्ररूप 8ग में रिटर्निंग आफिसर को एक बड़ा लिफाफा, जिस पर पता लिखा होगा,

(iv) प्ररूप 8घ में एक पत्र होगा।

(ख) मतपत्र के साथ घोषणा, लिफाफा और पत्र उप-नियम (3) में निर्दिष्ट उसके द्वारा दिए गए

3576 45/07-3

आवेदन में दिए गए पते को निर्वाचन में दिया जाएगा।

- (ग) वह निर्वाचक जो खंड (क) के अधीन भेजे गए किसी डाक मतपत्र को प्राप्त करता है और मत देने की इच्छा रखता है, मतपत्र के साथ भेजे गए पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसरण में मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और प्ररूप 8क में घोषणा हस्ताक्षरित करेगा तथा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर का सत्यापन भी कराएगा या किसी अन्य मजिस्ट्रेट, जो निर्वाचक को व्यक्तिगत रूप से जानता हो या जिसे निर्वाचक की पहचान का समाधान हो गया हो से सत्यापन कराएगा।
- (घ) निर्वाचक प्ररूप 8ख में लिफाफे में मतपत्र रखेगा और लिफाफा बंद करेगा जिसके साथ लिफाफे (प्ररूप 8-ग) में प्ररूप 8क में घोषणा भी संलग्न होगी और रिटर्निंग आफिसर को पत्र में अंतर्विष्ट निर्देशकों के अनुसरण में इस प्रकार भेजेगा जो मतदान के लिए नियत तारीख पर सायं 5 बजे से पहले पहुंच जाए।
- (ङ) मतदान के लिए नियत तारीख को जहां कोई लिफाफा मतदान के लिए नियत तारीख का सायं 5 बजे के पहले रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त नहीं होता है, निरस्त होगा।
- (च) इस प्रकार निरस्त सभी लिफाफे रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृथक मुहरबंद पैकेट में रखे जाएंगे।
- (छ) रिटर्निंग आफिसर इस उप-नियम के अधीन उसे प्राप्त सभी डाक मतपत्रों के लिफाफे मतगणना के आरंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (ज) कोई निर्वाचन केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि किसी निर्वाचक को उसका मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है :

परंतु कोई मतपत्र उसे इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसरण में जारी किया गया है।

(7) रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्र को भेजते समय उस निर्वाचक के छावनी के उस विभाग से संबंधित निर्वाचन नामावली की प्रति में संबंधित प्रविष्टि पर मतपत्र जारी करने के तथ्य पर अपने हस्ताक्षर अभिलिखित करेगा जो व्यक्तिगत रूप से निर्वाचकों द्वारा मत देने के लिए मतदान के समय उपयोग की जाएगी।

(8) सभी निर्वाचकों को जो डाक से मत देने के हकदार हों, मतपत्र जारी किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति संलग्न करेगा और उस पर मुहर लगाएगा और उसे विशेष लिफाफे में रखेगा और निर्वाचन की तारीख को संबद्ध मतदान आफिसर को निर्वाचक नामावली की चिन्हित सूची से संबंधित लिफाफा उसे व्यक्तिगत रूप से देगा।

40. निर्वाचक की पहचान.—(1) जहां जैसा इसके पश्चात् उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है और जो उपस्थित है और मत देने को आशयित है, को एक मतपत्र दिया जाएगा।

(2) मतदान आफिसर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो मतपत्र के लिए आता है, प्रश्न पूछ सकेगा जिससे कि उसका यह समाधान हो जाए कि वह वही व्यक्ति है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है और मतपत्र प्राप्त करने का हकदार है।

(3) इसी के समान वह ऐसे और प्रश्न पूछ सकेगा कि जो किसी अभ्यर्थी या इसके निर्वाचन अधिकर्ता, जो उपस्थित हों द्वारा सुझाए जाएं या ऐसे व्यक्ति को जो पहचान के तात्पर्य में सक्षम हो बुला सकेगा या प्रश्न पूछ सकेगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचक जिसकी पहचान का मतदान आफिसर को समाधान हो जाता है, मतदान आफिसर उसके बाएं हाथ की पहली उंगली की निरीक्षण करने को अनुज्ञात करेगा और उस पर अमिट चिन्ह लगाएगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक अपने बाएं हाथ की पहली उंगली का निरीक्षण करवाने से इंकार कर देता है जैसा उप-नियम (4) के अनुसरण में चिन्हित है या उसके बाएं हाथ की पहली उंगली पर कोई चिन्ह पहले से ही है या ऐसी स्याही के चिन्ह को मिटाने की दृष्टि से कोई कार्य किया गया है तो वह उसे मतपत्र देने से मना कर देगा और मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है, ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां उसके दोनों हाथ की सब उंगलियां नहीं हैं, वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

41. मतपत्रों को प्रदाय करने की प्रक्रिया और मत देने की पद्धति.—(1) मतदान आफिसर अपना समाधान हो जाने पर मतपत्र प्राप्त करने का हकदार किसी व्यक्ति को—

- (क) इस प्रयोजन के लिए दी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में मतपत्र का क्रम संख्यांक निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा;
- (ख) मतपत्र के पृष्ठ पर शासकीय चिह्न की मुद्रा लगाएगा;
- (ग) मतपत्र के शासकीय चिह्न पर अपने अद्याक्षरित करेगा;
- (घ) मतदाता को इस अनुदेश के साथ कि वह कितने मत देगा और कैसे अपने मत को अभिलिखित करेगा, के साथ मतपत्र देगा।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र में विशिष्ट निर्वाचक को जारी मतपत्र के क्रम संख्यांक अभिलिखित नहीं करेगा।

(3) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मत देने के लिए उस प्रयोजन के लिए उपकरण से चिह्न बनाएगा;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) उस दशा में, जिससे कि उससे यह अपेक्षा की जाए कि मतपत्र पर लगा सुभिन्न चिह्न मतदान आफिसर को दर्शित करेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(4) प्रत्येक निर्वाचक अनावश्यक विलंब के बिना मत देगा ।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।

(6) यदि अंधेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने या उस पर चिह्न बनाने में असमर्थ है, मतदान आफिसर निर्वाचक की इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करेगा उसे ऐसे मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए और मतपेटी में डालेगा ।

(7) मतदान आफिसर उपनियम (6) के अधीन जब कार्य करता है, यथासाध्य वह गोपनीयता रखेगा और ऐसी प्रत्येक घटना को यथा संक्षिप्त अभिलिखित करेगा किंतु उसमें यह दर्शित नहीं होगा कि वह किस रीति से मतदान किया गया है ।

42. निविदत्त मत.—(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह निर्वाचक नामावली में उसके नाम का विनिर्दिष्ट निर्वाचक है, ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों पर सामाधान रूप से उत्तर देने के पश्चात् जैसे मतदान आफिसर उससे पूछे तो वह मतपत्र (इन नियमों में निविदत्त मतपत्र कहा गया है) पर चिह्नित करने का हकदार होगा । वह मतपत्र को चिह्नित करने का ऐसे हकदार होगा जैसा कोई अन्य निर्वाचक होता है । इस नियम को निविदत्त मतपत्र कहा जाएगा किंतु ऐसे मतपत्र का रंग अन्य मतपत्रों से भिन्न रंग का होगा । निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को चिह्नित करने के पश्चात् मतपेटी में रखने के बजाए उसे मतदान आफिसर को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा और उसे निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम और उसकी संख्या पृष्ठांकित करेगा और रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसकी गणना नहीं होगी ।

(2) निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम और उसकी संख्या और नाम या मतदाता केन्द्र का नाम या उसकी सुभिन्न संख्या प्ररूप 9 में सूची में दर्ज की जाएगी जिसे निविदत्त सूची कहा जाएगा ।

(3) ऐसे मतपत्र देने वाले व्यक्ति सूची में अपने नाम के हस्ताक्षर या उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाएगा और अपना पता देगा ।

43. खराब हुए मतपत्र.—कोई मतदाता जिसने अपना मतपत्र अनवधानता से खराब कर लिया है, जिसे उसके द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वह मतदान आफिसर को लौटा दिए जाने पर अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिए जाने पर खराब हुए मतपत्र के स्थान पर अन्य मतपत्र प्राप्त करेगा, ऐसे लौटाए गए मतपत्र पर रद्द किया गया शब्द अंकित किया जाएगा और ऐसे मतपत्रों को एक पृथक पैकेट में रखा जाएगा ।

44. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.—(1) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप ऐसे हर एक अभ्याक्षेप के लिए पोलिंग आफिसर को एक सौ रूपए की राशि पहले निक्षेप करके कर सकेगा ।

(2) मतदान आफिसर ऐसे निक्षेप किए जाने पर—

(क) व्यक्ति को जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली में की किसी सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़ कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) प्ररूप 10 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्टि करेगा; और

(घ) उक्त सूची में उसके हस्ताक्षर कराने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(3) मतदान आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के संबंध में साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत के साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता साबित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा ।

(4) यदि जांच के पश्चात्, पोलिंग आफिसर का यह विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे; और यदि उसका यह विचार है कि अभ्याक्षेप साबित कर दिया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा ।

(5) यदि पोलिंग आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप बोर्ड के पक्ष में समपहत कर लिया जाए और अन्य किसी दशा में जांच की समाप्ति पर अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा ।

45. किसी कर्तव्यारूढ़ व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई किसी त्रुटि के लिए आक्षेप न किया जाना.—किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर केवल इस आधार पर आक्षेप नहीं होगा कि मतदान आफिसर ने अपने कर्तव्य के सद्भावनापूर्वक निर्वहन में किसी निर्वाचक का मत देने के लिए गलती से अनुज्ञा दे दी है या मना कर दिया है जो नियम 40, 42 और 44 के किन्हीं उपबंधों के अधीन कार्यवाहियों का परिणाम है।

अध्याय 6

मतदान की समाप्ति, निर्वाचन का परिणाम और निर्वाचक पत्रों की अभिरक्षा

46. मतदान बंद करना.—(1) मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर, मतदान आफिसर मतदान केन्द्र को बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करने देगा:

परंतु मतदान केन्द्र के बंद किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सभी निर्वाचकों को अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई यह प्रश्न इस बाबत उत्पन्न होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बंद किए जाने से पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

47. मतपेटी और अन्य प्रपत्रों को मुद्राबंद किया जाना तथा उन्हें रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना.—(1) मतदान बंद होने के पश्चात् यथासाध्य मतदान आफिसर से अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में जो वहां पर उपस्थित हैं मतपेटी के छिद्र को बंद करेगा और जहां छिद्र बंद करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं है वहां उस छिद्र को मुद्राबंद करेगा और किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, मुद्रा लगाने देगा।

(2) मतदान आफिसर, मतपेटी के साथ मुद्राबंद चाबी, यदि कोई हों, संलग्न करेगा और पृथक् पैकेटों में निम्नलिखित भी संलग्न करेगा और उन्हें समान रीति से मुहरबंद करेगा—

- (क) निविदत्त मतपत्र,
- (ख) उपयोग नहीं किए गए मतपत्र,
- (ग) खराब हुए मतपत्र,
- (घ) निर्वाचित नामावली की चिन्हित प्रति,
- (ड.) निविदत्त मतों की सूची,
- (च) अभ्याक्षेपित मत सूची।

(3) (i) मतपेटियाँ, मतपेटियों और चाबी के साथ पैकेटों पर, मतदान केन्द्र का नाम या संख्यांक और वार्ड संख्या और उसमें रखी गई वस्तुएं स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगी तथा रिटर्निंग आफिसर को बिना किसी विलंब के साथ भेजा जाएगा।

(ii) मतदान आफिसर रिटर्निंग आफिसर को जमा कराए गए वस्तुओं की सूची भेजेगा। इसके साथ ही

मतपत्रों के लेखाओं के ब्यौरे भी भेजेगा और निविदत्त मतपत्र भी जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया था उसे जारी किए गए थे।

48. मतों की गणना.—(1) रिटर्निंग आफिसर उसी शाम को या उसकी अगली सुबह जैसे उसकी सुविधा हो, जो उसके द्वारा समय पर घोषित की जाएं, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा और ऐसे व्यक्तियों को सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(2) कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जो किसी अभ्यर्थी के द्वारा चाहे निर्वाचन से संबंधित भी प्रयोजन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त या उसके निमित्त नियोजित किया गया हो।

(3) इस नियम में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों से भिन्न केवल वे व्यक्ति उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात होंगे, जो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचक अभिकर्ता हों।

49. मतपेटियों को खोलना, मतपत्रों की संवीक्षा और मतों की गणना.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान पेटी या मतदान पेटियों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी मतपेटी या मतपेटियों की स्थिति में उन्हें पृथक् खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर उसमें से मतपत्रों को निकालेगा और उन्हें गणना के लिए वितरित करेगा जैसा वह ठीक समझे। जहां किसी वार्ड के लिए एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं वहां ऐसी सावधानियां बरतेगा कि मतदान पेटियों के संबंध में जहां किसी वार्ड के लिए एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं उनसे संबंधित मतदान पेटियां उसी समय या तत्काल एक के पश्चात् एक खोली जाएगी, ऐसी प्रत्येक पेटी से एक पृथक ढेर में ऐसे कागज रखे जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर विभिन्न ढेरों में रखे गए प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा करेगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर मतपत्रों को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर देगा जिसमें कि मतपत्र पर—

- (क) यदि ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है; या
- (ख) यदि उस पर मत अभिलिखित नहीं किया गया है; या
- (ग) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिया गया है; या
- (घ) यदि उस पर दर्शित मत का चिन्ह इस रीति से लगाया गया है कि यह शंका उत्पन्न हो जाए कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है; या
- (ड.) यदि बनावटी मतपत्र है; या
- (च) यदि ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित की जा सकती है; या
- (छ) उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने वाले प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या डिजाइन से भिन्न डिजाइन का है; या
- (ज) यदि उस पर वह शासकीय चिन्ह और हस्ताक्षर दोनों नहीं हैं जिन्हें उस पर नियम 41 के उपनियम (1) के

खंड (ख) के उपबंध के अधीन होना चाहिए था :

परन्तु जहां रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खंड (छ) या खंड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि मतपत्र केवल इस आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा कि मत पर प्रदर्शित चिन्ह अस्पष्ट या एक से अधिक लगाए गए हैं यदि उसका आशय है कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत स्पष्ट दर्शित करने के लिए पत्र पर चिन्ह लगाया गया है ।

(4) रिटर्निंग आफिसर, उपनियम (3) के अधीन किसी मतपत्र को प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हो मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उन्हें उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप से स्वहस्त लेख लिख कर या रबड़ स्टाम्प से अभिलिखित करेगा ।

(6) किसी एक मतपेटी से निकाले गए और इस नियम के अधीन प्रक्षेपित किए गए सब मतपत्रों का एक पृथक् बंडल बनाया जाएगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए विधिमान्य मतों की गणना करेगा या कराएगा :

परन्तु निविदत्त मतपत्र, अंतर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी ।

(7) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई जाने वाली सब मत पेटियों में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना समाप्त हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 10क में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियों को आख्यापित करेगा ।

(8) विधिमान्य मतपत्रों को एक साथ बंडल में बांधा जाएगा और उसे पेटी में पाए गए प्रक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ ही पृथक् पैकेट में रखा जाएगा उसे मुद्रांकित किया जाएगा और निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) वार्ड का नाम;

(ख) उस मतदान की विशिष्टियां जहां मतपत्रों को प्रयोग में लाया गया है; या

(ग) मतदान की तारीख ।

50. डाक मतपत्रों की संवीक्षा और मतों की गणना.—

(1) मतपेटियों में पाए जाने वाले मतपत्रों की संवीक्षा और गणना पूरी होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर इसके पश्चात् उपबंधित रीति में डाक मतपत्रों पर कार्यवाही करेगा ।

(2) नियम 39 के उपनियम (6) के खंड (घ) के अधीन इस निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर

द्वारा प्राप्त प्ररूप 8ग के किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में अंतर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जाएगी ।

(3) अन्य लिफाफों को एक-एक करके खोला जाएगा और जैसे ही हरेक लिफाफे को खोला जाएगा रिटर्निंग आफिसर सर्वप्रथम उसमें अंतर्विष्ट प्ररूप 8क में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा ।

(4) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट घोषणा नहीं पाई जाती है या उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है या अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथाप्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्या के लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर उसमें अंतर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर देगा ।

(5) ऐसे पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफे और उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः प्ररूप 8ग में लिफाफे में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे जिसे मुद्राबंद किया जाएगा और जिस पर वार्ड का नाम, गणना की तारीख और उसमें अंतर्विष्ट वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन विहित किया जाएगा ।

(6) रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 8क में की गई सभी घोषणाओं को, जो उसने व्यस्थानुरूप पाई हैं, पृथक् पैकेट में रखेगा जिसे किसी लिफाफे को खोलने से पहले मुद्राबंद किया जाएगा और जिस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी ।

(7) डाक मतपत्रों वाले लिफाफे (प्ररूप 8ख) को जिसके विषय में इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन पहले भी कार्यवाही नहीं की गई है तब एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर हरेक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उन पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा ।

(8) डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा—

(क) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या

(ख) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए गए हैं; या

(ग) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(घ) यदि वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(ङ) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर लौटाया नहीं गया है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(9) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसे रीति में लगा है कि यह बात संदेहपूर्ण हो जाती है कि मत किसी अभ्यर्थी को दिया गया है ।

(10) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या

3576 45107-4

एक बार से अधिक लगाया गया है प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय है कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(11) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है अक्षर 'प्र' और प्रतिक्षेपण के आधारों का संक्षिप्त रूप में अपने हस्तलेख में या किसी रबर स्टॉप से अभिलिखित करेगा।

(12) रिटर्निंग आफिसर उन सभी विधिमान्य मतों को जो डाक मतपत्र द्वारा हरेक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं गणना करेगा या कराएगा और उनके जोड़ को प्ररूप 10 में परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे घोषित करेगा।

(13) सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पृथक-पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिन्हें मुद्राबंद किया जाएगा और उन पर वार्ड का नाम, गणना की तारीख और उसमें अंतर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

51. मतदान के परिणाम.—(1) गणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 10 में परिणामों को अभिलिखित करेगा और मतदान के परिणामों को प्ररूप 11 में विवरणी तैयार करेगा और जिस अभ्यर्थी ने अधिकतम विधिमान्य मत प्राप्त किए हैं उसे निर्वाचित घोषित करेगा।

परन्तु यदि किसी वार्ड में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मत समान मत हैं ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थियों को आवश्यक लाटरी द्वारा विनिश्चय करेगा और जिससे अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर साथ ही साथ नियम 12 में सूचना की समान रीति में प्ररूप 11 में निर्वाचन के परिणाम को दर्शित करते हुए विवरणी प्रकाशित करेगा और किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराएगा।

52. सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दस्तावेजों का अंतरण.—रिटर्निंग आफिसर मतदान के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा—

- (i) नियम 47 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट,
- (ii) खाली मतपेटियाँ और उनकी चाबी, यदि कोई हो,
- (iii) नियम 47 के उपनियम (3) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सूची, जो मतदान अधिकारी से उसे प्राप्त हुई हैं,
- (iv) नियम 47 के उपनियम (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मतपत्रों और निविदत्त मतपत्रों के लेखे,
- (v) नियम 49 के उपनियम (8) में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट,
- (vi) नियम 50 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप 8 में सभी बिना खुले हुए लिफाफे, जिनके साथ मुद्राबंद पैकेट, बाहर चिन्हित की हुई अन्य सामग्री,
- (vii) नियम 50 के उपनियम (5) उपनियम (6) और (13) में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट।

53. मतपेटियों और मतपत्रों की अभिरक्षा और उनका संरक्षण—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियम 52 के अधीन उसे भेजी गई सभी वस्तुओं को एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा जिन्हें जब तक कि अध्यक्ष किसी सदभावी कारण से प्रतिकूल न देखे वह मतपेटियों के सिवाय उन्हें नष्ट कर देगा।

(2) जब मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों (चाहे वह विधिमान्य हों, प्रतिक्षेपित हों या निविदत्त हों) को रखा गया है, वह सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका में जांच अधिकारी के लिखित आदेशों के सिवाय अन्यथा नहीं खोलेगा, निरीक्षण नहीं करेगा, न ही उन्हें कहीं पेश करेगा।

(3) ऐसी अभिरक्षा में रखे सभी अन्य दस्तावेज अन्य छावनी दस्तावेजों के रूप में समान शर्तों के अधीन जिन्हें जनता द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है जनता की निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

अध्याय 7

निर्वाचन अर्जी और विवाद

54. निर्वाचन अर्जी.—कोई निर्वाचन को इन नियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय प्ररनगत नहीं किया जाएगा।

55. अधिकारी जिससे अर्जी दी जाएगी.—किसी निर्वाचन की विधिमान्यता के प्ररनगत कोई अर्जी या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की विवरणी को उस जिले के, जिसमें निर्वाचन होता है के जिला न्यायाधीश (या जहां कोई जिला न्यायाधीश नहीं है तो ऐसे न्यायिक अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे) को ऐसे निर्वाचन की परिणामों की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर, या तो वैयक्तिक रूप से उस निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा या उक्त निर्वाचन में मत देने के हकदार कम से कम पांच व्यक्तियों द्वारा लिखित में दी जाएगी :

परन्तु ऐसी कोई अर्जी ऐसे आधारों पर नहीं पेश की जाएगी या तो निर्वाचन नामावली से किसी मत देने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति का नाम लोप कर दिया गया है या नामावली में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है जो मत देने के लिए अर्हक नहीं है।

56. सुरक्षा निक्षेप.—(1) प्रत्येक अर्जी के साथ उसमें उपगत वाले संभावित खर्चों के लिए सुरक्षा के रूप में नकद तीन हजार रुपए का निक्षेप होगा :

परन्तु जहां ऐसी अर्जी किसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित है वहां ऐसे निक्षेप की रकम केवल एक हजार पांच सौ रुपए होगी।

(2) विवाद के निष्कर्ष पर निक्षेपित या यदि अर्जीदार को नियम 58 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि वह खर्चा अदा करे तो अतिशेष यदि कोई हो उस निक्षेप खर्चों को कटौती के पश्चात् अर्जीदार को वापस कर दिए जाएंगे।

57. निर्वाचन में जांच.—जहां कोई अर्जी नियम 55 के अधीन दी जाती है और नियम 56 द्वारा यथापेक्षित सुरक्षा निक्षेप किए जाते हैं, जिला न्यायाधीश या नियम 55 के अनुसरण में नियुक्त अधि-

कारी या कोई उसके अधीन अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी और जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऐसे रैंक से न्यून न हो जिसे जिला न्यायाधीश ऐसी अर्जी को अंतरण कर सकेगा, संबद्ध वार्ड के सभी अभ्यर्थियों को ऐसी सूचना देने के पश्चात् (अर्जीदार से भिन्न अन्य को) ऐसी जांच करेगा जिसे वह उचित समझे।

58. जांच अधिकारी की शक्ति.—नियम 57 में निर्दिष्ट किसी जांच के प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी साक्षियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए समन करेगा और उन्हें साक्ष्य देने के लिए बाध्य करेगा जैसे वह सिविल न्यायालय है और वह उन्हें ऐसे खर्च पूर्ण रूप से या अंशतः देने का भी निर्देश देगा और वह ऐसे व्यय ऐसी सीमा तक जो नियम 56 के अधीन किए गए निक्षेप में से वसूल किए जा सकेंगे, यदि वे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद में प्रदान किए जाते हैं वसूली योग्य होंगे।

59. निर्वाचनों को अविधिमाम्य घोषित किए जाने के लिए आधार—यदि किसी जांच अधिकारी की राय में—

(क) कोई निर्वाचन रिश्वत के साधारण नियोजन के आधार पर या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (1960 का 45) की धारा 171ख या धारा 171ग के अर्थों के भीतर अनुचित प्रभाव के आधार पर मुक्त निर्वाचन नहीं हैं या निर्वाचनों का परिणाम निम्नलिखित के द्वारा सास्तः प्रभावित है—

- भ्रष्ट आचरण करना; या
- किसी नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करना या उनको नामंजूर करना; या
- किसी मत का अनुचित रूप से स्वीकार करना या उनको नामंजूर करना; या
- अधिनियम या इन नियम के किसी उपबंधों के अनुपालन में असफल रहने

के आधार पर वह निर्वाचन अपास्त कर सकेगा।

(ख) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन को, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भ्रष्ट आचरण द्वारा उपाप्त करने, उत्प्रेरित करना या उसमें सहायता करना किन्तु जिससे ऐसे में सारतः निर्वाचन प्रभावित न होता हो वह ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन को अविधिमाम्य घोषित कर सकेगा और तदनु रूप निर्वाचन के परिणामों को घोषित करने के लिए संशोधित आदेश पारित कर सकेगा।

60. जांच अधिकारी के विनिश्चय का अंतिम होना.—नियम 59 के अधीन जांच अधिकारी का विनिश्चय या आदेश अंतिम होगा।

61. भ्रष्ट आचरण करने के लिए शास्ति.—नियम 57 के अधीन किसी जांच के पश्चात् यदि जांच अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचनों के संबंध में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, वह यदि वह उचित समझता है ऐसे व्यक्ति को किसी छावनी बोर्ड के किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी होने से किसी अवधि के लिए जो पांच वर्ष से अनधिक न होगी के लिए निरहंत घोषित कर देगा और ऐसी घोषणा अंतिम होगी।

परंतु केन्द्रीय सरकार यदि वह उचित समझती है कि ऐसी निरहंता से ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय मुक्त कर सकेगी।

62. सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना का प्रभाव.—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अवकाश अधिसूचित किया गया है या राज्य में राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किसी अवकाश के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसको कोई कार्य या कोई नियत कार्यवाही होना या किया जाना आशयित था, वह कार्य, या कोई नियत कार्यवाही आगामी दिन को होंगी जिस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा।

पहली अनुसूची

[नियम 5 देखिए]

छावनी	कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की औसत प्रतिशतता
छावनियां जिनके 8 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है	- 12 प्रतिशत
छावनियां जिनके 7 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है	- 14 प्रतिशत
छावनियां जिनके 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है	- 16 प्रतिशत
छावनियां जिनके 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है	- 50 प्रतिशत

दूसरी अनुसूची

प्ररूप

प्ररूप 1

[नियम 10 देखिए]

क्रम	नाम	आयु	पिता या पति का नाम	पूरा पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप 1-क

[नियम 11 देखिए]

अनुरोध पत्र

स्थान

तारीख

प्रेषती

..... छावनी
का अधिभोगी

महोदय/महोदया

..... छावनी की वार्ड सं. " ..
..... जिसके आप निवासी हैं, की निर्वाचन
नामावली की तैयारी आरंभ हो गई है। यदि आप संलग्न अनुदेश पढ़ने
के पश्चात् नीचे दिया गया विवरण पूर्ण कर दें और मेरे सहायक को,
जो उसकी मांग करेगा दे दें तो मेरा कार्य अधिक सरल हो जाएगा।

भवदीय

मुख्य कार्य पालक अधिकारी

विवरण

उपर्युक्त परिसरों में रहने वाले वयस्कों के नाम और विशिष्टियां।

.....

नाम पिता या पति की विशिष्टियां आयु 1 मार्च 20 को

(1) (2) (3)

1.

2.

3.

4.

आदि

.....

हस्ताक्षर

तारीख

अनुदेश

1. सभी व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने इस वर्ष 1 मार्च को या उसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो मामूली तौर पर परिसर में निवास करता है, दर्ज किए जाएंगे।
2. केवल उन्हीं के नाम, जो 1 मार्च से ठीक पहले छह मास से अन्यून अवधि के लिए छावनी में लगातार निवास कर रहे हैं दर्ज किए जाने चाहिए।
3. स्तंभ (1) में क्रम सं. 1 के सामने, कुटुम्ब के मुखिया या अन्य ज्येष्ठ सदस्य का नाम दर्ज करें परंतु उसके पास पैरा 1 और 2 में उल्लिखित अर्हता होनी चाहिए।
4. प्रत्येक पुरुष निवासी की दशा में, पुत्र का नाम शब्दों के पश्चात् उसके पिता का नाम स्तंभ (2) में दर्ज करें।
5. प्रत्येक स्त्री निवासी की दशा में, स्तंभ (2) में —
(i) "पत्नी" शब्द के पश्चात् पति का नाम यदि वह विवाहित है;
(ii) "पत्नी" शब्द के पश्चात् स्वर्गीय पति का नाम यदि वह विधवा है; और
(iii) "पुत्री" शब्द के पश्चात् पिता का नाम यदि वह अविवाहित है; दर्ज करें।

6. स्तंभ (3) में व्यक्ति की यथासम्मत सही आयु दर्ज करें जहां तक संभव हो केवल पूरे किए गए वर्षों की संख्या देते हुए मास को छोड़ दें।

प्ररूप 2

[नियम 12 देखिए]

दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए सूचना

..... छावनी के मतदाताओं की प्रारंभिक
निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से
अपराह्न 4 बजे के मध्य 15 अगस्त तक छावनी बोर्ड के कार्यालय में
उपलब्ध रहेंगी।

2. कोई व्यक्ति जो अपना नाम इस नियमावली में दर्ज करने का दावा करता है जिसका नाम उसमें दर्ज नहीं है या किसी गलत स्थान पर अथवा गलत विशिष्टियों के साथ दर्ज है मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संबोधित यथास्थिति अपने नाम को दर्ज कराने या रजिस्टर संबंधी त्रुटि ठीक करने को दावे में सम्मिलित कर सकेगा।

3. कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस नामावली में है और जो अपना स्वयं का नाम या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जिसका नाम नामावली में है, नाम को सम्मिलित किए जाने के बारे में आक्षेप करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आक्षेप भेज सकेगा।

4. दावे इस सूचना से आबद्ध प्ररूप 3 में और आक्षेप का 4 या प्ररूप 4-क में किए जाएंगे। तथा वे दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। प्ररूपों की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवेदन पर मुफ्त प्रदान की जाएंगी।

5. दावे और आक्षेप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं किन्तु इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख के 20 दिन के भीतर अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

6. दावे और आक्षेप जो उचित प्ररूप में नहीं किए गए हैं या विहित तारीख तक प्राप्त नहीं हुए हैं अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

7. समय और उचित प्ररूप में प्राप्त सभी दावे और आक्षेप ..
..... को द्वारा सुने जाएंगे।

अध्यक्ष

तारीख :

प्ररूप 3

[नियम 13 (2) देखें]

नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन

प्रेषति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

..... छावनी

महोदय,

..... मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम छावनी के वार्ड सं.
..... की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

(पूरा) नाम
 पिता/माता/पति का नाम
 मेरे निवास स्थान की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं
 मकान सं.
 गली/मोहल्ला
 वार्ड संख्या
 मैं अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में घोषणा करता हूँ

(i) मैं छावनी के वार्ड सं. का निवासी हूँ और मैं 1 मार्च से ठीक पूर्ववर्ती से छः मास से अन्यान्य की अवधि के लिए निरंतर निवास कर रहा हूँ।

(ii) पिछले 1 मार्च को मेरी आयु वर्ष और मास थी।

(iii) मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ और मैं निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हूँ।

(iv) मैंने छावनी के किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में अपने नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(v) मेरा नाम किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में अंतर्विष्ट नहीं है।

या

कि मेरा नाम नीचे उल्लिखित पते के अंतर्गत छावनी के वार्ड सं. के लिए नामावली में सम्मिलित किया गया है और यदि ऐसा है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे उक्त वार्ड की निर्वाचक नामावली से निकाल दिया जाए।

दावाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

मैं, ऐसे निर्वाचक के रूप में, जिसका नाम निर्वाचक नामावली के भाग में क्रम सं. के अधीन सम्मिलित है, इस दावे का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ()

प्ररूप 4

[नियम 13 (3) देखिए]

नाम सम्मिलित किए जाने के बारे में आक्षेप

प्रेषति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

छावनी

महोदय,

मैं छावनी के वार्ड सं. की निर्वाचक नामावली के भाग के

3576 65/07-5

क्रम सं. पर मेरे नाम/ के नाम के सम्मिलित किए जाने के बारे में निम्नलिखित कारण/(कारणों) आक्षेप करता हूँ-

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही हैं।

इस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है-

पूरा नाम

*पिता/पति/माता का नाम

क्रम संख्या

भाग संख्या

आक्षेपकर्ता के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख (डाक का पूरा पता)

मैं, ऐसे निर्वाचक होने के रूप में जिसका नाम निर्वाचक नामावली के भाग में क्र. सं. के अधीन अंतर्विष्ट है, इस आक्षेप का समर्थन करता हूँ और प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

*जो लागू न हो उस भाग को काट दें।

प्ररूप 4-क

[नियम 13 (4) देखें]

किसी प्रविष्टि में विशिष्टियों के बारे में आक्षेप

प्रेषति,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

छावनी

महोदय,

मैं यह निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि, जो निर्वाचक नामावली के वार्ड सं. भाग

क्रम संख्या पर "

" के रूप में है। सही नहीं है। इसे सही किया जाए जिससे वह निम्नानुसार पढ़ी जा सके

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

प्ररूप 5

[नियम 15 देखिए]

दावों और आक्षेपों की सूची

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों को छावनी के वार्ड सं. की नामावली में निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने (या उनके नामों को सही रूप में दर्ज किए जाने हैं) के बारे में दावे किए हैं।

वार्ड संख्या	दावाकर्ता का नाम	पता
1	2	3

(ख) छावनी की नामावली में प्रविष्टियों के संबंध में निम्नलिखित आक्षेप प्राप्त हुए हैं।

वार्ड संख्या	आक्षेपकर्ता का नाम और नामावली पर की संख्या	आपेक्षित व्यक्ति का नाम और नामावली पर की संख्या
1	2	3

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से छावनी के वार्ड सं. की नामावली में निम्नलिखित शुद्धियां प्राप्त की गई हैं।

वार्ड संख्या	नामावली पर संख्या	शुद्धियों की प्रकृति
1	2	3

उपरोक्त दावों और आक्षेपों (और अंतिम रूप से विचार की गई शुद्धियों) की सुनवाई तारीख को द्वारा की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्ररूप 6

[नियम 22 देखिए]

नाम निर्देशन पत्र

..... छावनी में को होने वाले निर्वाचन के लिए। (प्रस्थापक द्वारा भरा जाए)

मैं को, ऊपर निर्दिष्ट निर्वाचन में वार्ड सं. से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

1. प्रस्थापक का पूरा नाम
2. प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली सं. वार्ड सं. नामावली सं. भाग सं.
3. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम
4. अभ्यर्थी का डाक का पूरा पता
5. अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं.

वार्ड सं.

नामावली संख्यांक

भाग सं.

तारीख

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं, ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से यह घोषणा करता हूँ कि मैं छावनी बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र हूँ और इस नामनिर्देशन को सहमति देता हूँ। मेरे द्वारा चयनित प्रतीकों को अधिमानता के क्रम में चुना है।

(i)

(ii)

(iii)

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त घोषणा।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जाति*/जनजाति का सदस्य हूँ, जो उस राज्य में (क्षेत्र) के संबंध में राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति है।

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र का क्रम सं.

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को

(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक/निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

*आवश्यकतानुसार एक विकल्प को काट दें।

प्ररूप 7

[नियम 25 देखिए]

विधिमान्य रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

..... छावनी बोर्ड के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	**पिता/पति/माता का नाम	अभ्यर्थियों के पते	वार्ड जिसके लिए नाम निर्देशन किया गया है
1	2	3	4	5

टिप्पण—नामनिर्देशन पत्र की (तारीख) को बजे (समय) (स्थान) पर संवीक्षा की जाएगी।

रिटर्निंग आफिसर

**समुचित विकल्प में काट दें।

प्ररूप 7-क
[नियम 27 (1) देखिए]
वापसी की सूचना

..... छावनी बोर्ड के लिए
निर्वाचन

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

प्रेषिती

रिटर्निंग आफिसर,
छावनी बोर्ड निर्वाचन
..... छावनी

में जो उपवर्णित निर्वाचन में नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ जो, एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

II

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

यह सूचना अभ्यर्थी/निर्वाचन
अधिकर्ता (नाम) द्वारा
..... (तारीख) को (बजे) ..
..... परिदत्त की गई है।

रिटर्निंग आफिसर

तारीख

III

(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)
..... की, जो कि वार्ड सं. से
..... छावनी बोर्ड के लिए निर्वाचन में अभ्यर्थी है
अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना द्वारा
..... (तारीख) को
(बजे) मुझे परिदत्त की गई।

रिटर्निंग आफिसर

तारीख

मुद्रा

प्ररूप 7-ख

[नियम 27 (3) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

..... छावनी बोर्ड के लिए

निर्वाचन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपवर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली है/हैं।

अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	वार्ड जिसके लिए अभ्यर्थी नाम निर्दिष्ट किया गया था
1.			
2.			
3.			

1.
2.
3.

रिटर्निंग आफिसर

तारीख

मुद्रा

प्ररूप 7-ग

[नियम 31 देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... को
..... छावनी बोर्ड के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	वार्ड जिसके लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है।	आर्बिट्रल प्रतीक
1	2	3	4	5

1.
2.
3.
4.

..... छावनी

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

प्ररूप 8
[नियम 37 देखिए]

मत पत्र

नाम	(अ)	(म)	संप्रतीक
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

मतपत्र का पीछे का भाग
यहां क्रम संख्या मुद्रित करें

प्ररूप 8-क

[नियम 39(6)क(i) देखिए]

निर्वाचक द्वारा घोषणा

वार्ड सं.
छावनी बोर्ड के लिए निर्वाचन ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसका नाम वार्ड सं. के लिए निर्वाचक नामावली में निर्वाचक सं. के रूप में उपदर्शित किया गया है जिसको क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है और मैंने इस छावनी के लिए निर्वाचन मतदान नहीं किया है ।

स्थान
तारीख

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता

हस्ताक्षर का अधिप्रमाणन

..... (निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में उपरोक्त हस्ताक्षरित किया गया जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/उसकी द्वारा मेरे समाधान पद रूप में पहचान की गई है । पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हों ।

अधिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

तारीख

पता

.....

प्ररूप 8-ख

[नियम 39(6)क(ii) देखिए]

लिफाफा गणना से पूर्व न खोला जाए

(क) छावनी के बोर्ड वार्ड सं.
..... के लिए निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक

प्ररूप 8-ग

[नियम 39(6)क(iii) देखें]

लिफाफा गणना से पूर्व न खोला जाए

(ख) निर्वाचन अविलम्ब
..... छावनी

डाक मतपत्र

..... छावनी बोर्ड के
लिए निर्वाचन
वार्ड सं.

रिटर्निंग आफिसर,

प्रेषिती

..... छावनी

..... वार्ड

(रिटर्निंग आफिसर का पता)

..... छावनी

प्ररूप 8-घ

[नियम 39(6)क(iv) देखिए]

प्रज्ञापन का प्ररूप और निर्वाचक के लिए अनुदेश

..... छावनी
..... वार्ड के लिए निर्वाचन

महोदय/महोदया,

1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं, को
..... वार्ड

..... छावनी बोर्ड के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, यदि आप इस निर्वाचन में मत देने की वांछ रखते हैं तो आपसे यह अनुरोध करना है कि—

(क) आप जिस अभ्यर्थी को मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने के प्रतीक चिन्ह पर या उसके पास 'X' का चिन्ह (स्पष्ट रूप से) लगाकर अपना मत अभिलिखित करें । चिन्ह इस प्रकार लगाएं जिससे स्पष्टतः और किसी संदेह के परे यह उपदर्शित किया जा सके कि आप किस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं । यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है कि जिससे यह संदेहास्पद हो जाता है कि आपने किस अभ्यर्थी को मत दिया है तो वह अविधिमाम्य हो जाएगा।

- (ख) आप एक से अधिक मत नहीं देंगे ।
 (ग) मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिह्नित लिफाफे में रखे और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुनिश्चित रूप से बंद कर दे ।
 (घ) आप तब प्ररूप 8-क में संलग्न घोषणा पर अनुप्रमाणन अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेंगे, जो आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा किन्तु आपके मत को नहीं, जो अनुप्रमाणन अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा । आप अनुप्रमाणित अधिकारी को अपना मतपत्र नहीं दिखाएंगे और न ही उससे कहेंगे कि आपने कैसे मत दिया ।
 (ङ.) तब आप 'क' चिह्नित बंद लिफाफा और सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित घोषणा प्ररूप को मुझे प्रेषित किए जाने वाले 'ख' चिह्नित लिफाफे में बंद करेंगे और लिफाफा पूर्व संदत्त डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा मुझे भेज दें जिससे वह मेरे पास तारीख 20 को 5 बजे अपराह्न से पूर्व पहुंच जाए ।
 2. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या केवल एक है ।
 3. डाक द्वारा भेजा गया ऐसा लिफाफा, जिस पर डाक मंसूख पूर्व संदत्त नहीं है मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
 4. मतपत्र अनुप्रमाणित करने के लिए सशक्त अधिकारी (1) या

(2) सांबलिक मजिस्ट्रेट ।

5. वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली पर आपकी संख्या है आपको यह संख्या घोषणा प्ररूप 8-क में अंतःस्थापित करनी होगी ।

भवदीय
रिटर्निंग आफिसर

प्रेषक

श्री/श्रीमती
 पता
 तारीख

प्ररूप 9

[नियम 42 देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

निर्वाचक नामावली की सं.	नाम	पता	निर्वाचक के हस्ताक्षर यदि साक्षर हो या निर्वाचक के अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो साक्षी के हस्ताक्षर सहित

प्ररूप 10

[नियम 44 देखिए]

अपेक्षित मतों की सूची

निर्वाचक नामावली की सं.	नाम	पता	निर्वाचक के हस्ताक्षर यदि साक्षर हो या निर्वाचक के अंगूठे का निशान साक्षी के हस्ताक्षर सहित

3576 25/07-6

प्ररूप 10क

[नियम 49 और नियम 50 देखिए]

अंतिम परिणाम शीट

निर्वाचन

वार्ड सं. से
 छावनी
 बोर्ड के लिए ।

मतदान केन्द्र	पक्ष में डाले गए विधिमाम्य मतों की संख्या	संख्या
क्रम सं.	नाम	कृ ख ग विधिमाम्य मत

मतदान केन्द्र के कुल मत

टिप्पणियां

मतदान केन्द्र पर अभिलिखित मतों की संख्या

डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या

डाले गए कुल मत

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 11

[नियम 51 देखिए]

* छावनी के निर्वाचन के लिए परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

वार्ड संख्या	अभ्यर्थियों के नाम	प्राप्त विधिमाम्य मतों की संख्या	निर्वाचित घोषित किए जाने वाला अभ्यर्थी
(1)	(2)	(3)	(4)
	1		
	2		
	3		
	4		

मैं घोषणा करता हूँ कि अभ्यर्थी जिनका नाम स्तंभ (4) में दर्ज किया गया है, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

रिटर्निंग आफिसर

*स्तंभ (1) और स्तंभ (2) की प्रविष्टियां केवल दृष्टांत स्वरूप हैं ।

[फा. सं. 10(20)/2007/डी (क्यू और सी)]

आनन्द मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2007

S.R.O. 5(E).—Whereas, certain draft Cantonment Electoral Rules, 2007 were published, as required by section 31 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), in Part-II, Section 4 of the Gazette of India, dated the 19th April, 2007, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S.R.O. 2(E), dated the 19th April, 2007 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on different dates after 19th April, 2007, ending on 22nd May, 2007 by the Cantonment Boards;

And, whereas, all the objections and suggestions received before the date so specified have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 31 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

GENERAL

1. **Short title and extent.**—(1) These rules may be called the Cantonment Electoral Rules, 2007.

(2) It shall extend to the Cantonments in the whole of India

2. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.—

- (a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
- (b) "Board" has the same meaning assigned to it in clause (b) of Section 2 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
- (c) "Cantonment" means the cantonment concerned;
- (d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Cantonment;
- (e) 'corrupt practices' means any of the practices specified in Section 30 of the Act;
- (f) "Form" means a Form set out in the Second Schedule to these rules;
- (g) "President" means the President of the Cantonment Board or where a Board is not constituted the Officer Commanding the Station;
- (h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India.

3. **Division of Cantonments into wards.**—Subject to the provisions of these rules,—

- (a) The Board, shall publish a draft plan for division of Cantonment into wards.
- (b) Such Draft plan as approved by the Board shall be published in the notice board of the Cantonment Board Office and two newspapers having local circulation for inviting objections and suggestions within a period of fifteen days from the date of publication of notification.
- (c) The Board shall, after considering the objections and suggestions, if any, prepare a final plan for, division of Cantonment into wards.
- (d) The Central Government shall publish in the Official Gazette the final plan forwarded by the Board dividing the Cantonment into wards, with modifications, if any, as it may consider appropriate.

4. **Number of members to be elected from each ward in a Cantonment.**—Only one member shall be elected from each ward of any Cantonment by an election.

5. **Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.**—(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Cantonment on the basis of the percentage which their population bears to the total population of the Cantonment according to latest census and the minimum percentage required for such reservation shall be as specified in the First Schedule:

Provided that the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe population so exceeds the minimum required percentage in any Cantonment that they become entitled to higher reservation, the number of seats reserved for them may be increased proportionately, according to their population of the area and in determining the number of seats to be reserved for the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, if the Scheduled Caste or Scheduled Tribe population falls short by less than 3% of the required minimum percentage, the figure may be rounded off for the reservation of a seat or seats for which they would have otherwise been entitled.

(2) The number of seat or seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes referred to in sub-rule (1) shall be allotted to those ward or wards, which have the highest population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be.

(3) The wards reserved in every Cantonment shall be notified by the Central Government in the Official Gazette and shall be effective for complete five years or till the next ordinary election, whichever, is later, irrespective of election to fill any casual vacancy.

6. **Reservation of seats for women.**—(a) Not less than one-third of the total number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or as the case may be, the Scheduled Tribes.

(b) No reservation shall be made for women candidate of Scheduled Caste or Scheduled Tribe wherever there is only one ward reserved for the Scheduled Castes or as the case may be, the Scheduled Tribes;

(c) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled in an ordinary election in every Cantonment shall be reserved for women.

(d) The seats reserved under this section shall be effective for complete five years or till the next ordinary election, whichever is later, irrespective of election to fill any casual vacancy.

(e) While calculating the number of seats reserved for women under clauses (a) and (c) a fraction less than half shall be left out and more than half shall be taken as one.

(f) (i) The seats reserved for women in a Cantonment (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) shall be allotted to different wards in the Cantonment in accordance with rule 7.

(ii) The wards reserved for women in every Cantonment shall be notified by the Central Government in the Official Gazette.

7. Manner of rotation of seats reserved for women to different wards of a Cantonment.—(a) While reserving the wards for women in a Cantonment for the first time, the seats reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be allotted to different wards by drawing lots between the wards reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be.

(b) Reservation for women in respect of the remaining seats, after reservation in accordance with clause (a), shall be allotted by drawing lots between the remaining wards other than those reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

(c) In case of category IV Cantonments, one ward out of two shall be reserved for women candidate alternately in subsequent ordinary election.

(d) During every subsequent ordinary election in a Cantonment other than category IV Cantonment, the procedure for reservation of wards for women as referred to in clauses (a) and (b) shall be followed but all those wards which had been reserved in just earlier election shall not be included while drawing the lots for reservation.

(e) (i) The drawing of lots for reservation of seats for women (including the seats reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes) shall be carried out by the President

(ii) The place, date and time for drawing lots shall be published by the President at least seven days before the date so fixed, in any two local newspapers having wide circulation.

(iii) The exercise for drawing lots shall be carried out in the presence of members of the Board and general public who wish to witness the proceedings.

CHAPTER II

ELECTORAL ROLLS

8. Registration.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward and no person shall be so registered for any ward more than once.

9. Qualification of elector.—Every person who is eligible for enrolment as an elector under sub-section (1) of section 28 of the Act, and is not otherwise disqualified under sub-section (2) of the said section shall be enrolled as an elector.

10. Preparation of electoral rolls.—(1) The Board or where a Board is not constituted, the Officer Commanding the Station, shall prepare on 1st July of each year, in English and in the language commonly used in the District in which Cantonment is located, an electoral roll in Form I.

(2) The electoral roll shall be divided into separate parts for each ward.

(3) The names of electors in each part of the roll shall be arranged according to house numbers.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, any building or unit line used for the purpose of lodging troops shall be deemed to be a house.

(4) The names of electors in each part of the electoral roll shall be numbered as far as practicable, consecutively with a separate series of numbers beginning with number one.

11. Manner of ascertaining names of electors for inclusion in the electoral roll.—(1) The Chief Executive Officer may for the purpose of preparing the electoral roll, send letters of request in Form I-A to the occupants of dwelling houses in the Cantonment and every person receiving any such letter shall furnish the information called for therein to the best of his ability.

(2) The Chief Executive Officer shall ascertain the names of members of the Armed Forces and other defence personnel residing in the unit lines or other buildings, who are eligible for registration in the electoral roll of the Cantonment, from the Officer Commanding the Station or the Officer Commanding the Unit, as he deems necessary.

12. Notice of publication of electoral rolls.—(1) Copies of the electoral roll prepared under rule 10 shall be displayed at the notice board of the office of Cantonment

Board, and at the same time notice of their preparation shall be displayed in Form II at the notice Board of the said Office and at such places throughout the Cantonment, there being at least one such place in each ward, as the Board, or where a Board is not constituted, the Officer Commanding the Station, may specify.

(2) The notice shall also specify the mode in which claims and objections are to be preferred and disposed of.

CHAPTER III

CLAIMS AND OBJECTIONS

13. **Claims and objections.**—(1) Every claim for the inclusion of a name in the electoral roll and every objection to an entry therein shall be made within a period of twenty days from the date of publication of the notice referred to in rule 12.

(2) Every claim made under sub-rule (1) shall be—

- (a) in Form III.
- (b) signed by the person desiring his name to be included in the roll.
- (c) countersigned by another person whose name is already included in that part of the roll in which the claimant desires his name to be included.

(3) Every objection to the inclusion of a name in the roll shall be—

- (a) in Form IV.
- (b) preferred only by a person whose name is already included in that roll.
- (c) countersigned by another person whose name is already included in that part of the roll in which the name objected to appears.

(4) Every objection to any particular in an entry in the roll shall be—

- (a) in Form IV -A; and
- (b) preferred only by the person to whom that entry relates.

(5) Every claim or objection shall be presented to the Chief Executive Officer in person or be sent by registered post to the Chief Executive Officer.

(6) If any objection relates to the inclusion in the electoral roll of the name of a person other than the objector the objection shall be filed in duplicate.

(7) The Chief Executive Officer shall reject any claim or objection which is not made within the period or in the form and manner specified in this rule.

14. **Publication of list of corrections to electoral rolls.**—The Chief Executive Officer may of his own motion remove from the roll the names of any person whom he

knows to be dead and may also make correction in pursuance of any claim :

Provided that he shall publish a list of all such corrections with the list of claims and objections referred to in rule 15.

15. **Publication of list of claims and objections and time and place of their hearing.**—(1) A list of all claims and objections not disposed of under sub-rule (7) of rule 13 or under rule 14 shall be published in Form V in the same manner as notice in rule 12 not later than three days after the last day fixed for receipt of claims and objections.

(2) The list shall give intimation of the time and place of the hearing of such claims or objections.

(3) The place of hearing will ordinarily be the Cantonment Board Office and the date of hearing shall be not earlier than fifteen and not later than thirty days of the date of publication under this sub-rule.

(4) At the same time as action under sub-rule (1) of the rule is taken, notice of hearing together with a copy of the objections shall be sent to all persons who are the subject of objections except where the objector is himself the subject.

(5) Notices may be served through the Cantonment Board Staff as ordinarily employed for that purpose, or by registered post, to the place of residence or business of the individual as the case may be, and shall be deemed sufficiently served if left at such place of residence or business, or duly posted, as the case may be.

16. **Hearing of claims and objections and issue of orders thereon.**—(1) The President or some other person not being an elected member, the Chief Executive Officer or a servant of the Board nominated by him shall hear all claims and objections published under rule 15 or the subject of corrections under rule 14.

(2) Evidence, documentary or oral, may be adduced in respect of any claim or objection, subject to its being produced on the date of hearing fixed under rule 15.

(3) Appearance by legal practitioner shall not be allowed.

(4) The President or his nominee, after hearing the party or parties to a claim or objection taking such evidence as may be produced in respect thereof, and making such other enquiry as appears to him necessary, shall pass order in writing thereon, stating as briefly as possible the reasons for his decision; and such orders shall be final, when passed by the President, but subject to the result of an appeal, if any, made within two days to the President when passed by his nominee.

17. **Final publication of the electoral rolls.**—(1) The Chief Executive Officer shall correct the electoral roll in accordance with the orders passed under rule 16 and prepare by printing or otherwise as many copies thereof in

English and in the Indian language of the District as is reasonably necessary.

(2) A copy of the corrected roll shall be pasted at the notice board of the Cantonment Board Office and notice thereof shall be published throughout the Cantonment in the same manner as in rule 12, on 15th September of each year :

Provided that publication of notice shall not be necessary if there are no corrections in the electoral roll as originally prepared :

Provided further that the Chief Executive Officer shall remove from the roll the names of any persons from any local area forming part of a Cantonment when, by a notification under Section 4 of the Act, such areas cease to be under the control of the Board after the final publication of the rolls.

(3) If the electoral roll is not prepared or finally published on the dates specified in rule 10 or sub-rule (1) of rule 17 respectively, the Central Government may direct the Board or where a Board is not constituted, the Officer Commanding the Station to have the electoral roll prepared or finally published on such dates as may be specified in the order, and the Board or the Officer Commanding the Station, as the case may be, shall comply with such direction ;

(4) Any person whose name is borne on the electoral roll as finally-published in a ward shall be entitled to purchase from the Chief Executive Officer, at a reasonable price, to be fixed by the Board or where a Board has not been constituted, the Officer Commanding the Station, one copy of the roll of his own ward.

18. Re-arrangement of rolls on alteration of wards.—(1) Where, after the electoral rolls for a Cantonment have been published under rule 17, the division of the Cantonment into wards is altered, the President shall, in order to give effect to the alteration of the wards, cause the names of the electoral rolls to be re-arranged on the basis of the altered wards.

(2) The roll with the names so re-arranged shall be published in the manner specified in rule 12 and shall, on such publication, be the electoral roll for the altered wards.

19. Inclusion of names in the electoral roll.—(1) Where, a notification regarding election to fill any vacancy has been issued by the Central Government under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 15 of the Act, every person whose name is not included in the electoral roll as finally published under rule 17, may apply as provided hereinafter for the inclusion of his name in the roll.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be made in duplicate in Form III to the President after the Central Government directs the date of election to be held by notification under Section 15 of the Act and before the expiry of three days after the publication of the public notice as required under rule 20.

(3) The President shall immediately on receipt of the application referred to in sub-rule (1), cause one copy thereof to be pasted at the Notice Board of the office of the Cantonment Board with a notice inviting objections to such application within a period of three days from the date of such posting.

(4) After the expiry of the period referred to in sub-rule (3), the application and the objections received thereto shall be heard and disposed of in the manner laid down in rule 16.

(5) The President, on such hearing if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the roll, shall direct the Chief Executive Officer to include the name of the applicant in the electoral roll.

(6) Every direction made under sub-rule (5) shall be final.

(7) The Chief Executive Officer shall comply with the directions made under sub-rule (5) where no appeal has been preferred under these rules.

CHAPTER IV

POLLING, NOMINATION AND SCRUTINY

20. Public notice of election.—As soon as possible after the notification by the Central Government of the date of an election under Section 15 of the Act, the Board or where a Board has not been constituted, the Officer Commanding the station shall draw up and publish in the same manner as in rule 12, a public notice setting out—

- (a) the date, time and places of polling,
- (b) the number of persons to be elected and details of wards reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Women,
- (c) the time and place for receipt of nominations,
- (d) the time and place for scrutiny of nominations,
- (e) the symbols that may be chosen by candidates and the restrictions to which their choice shall be subject; and
- (f) any other matter which may be necessary for information and assistance of voters and candidates ;

Provided that the Central Government may, on receipt of a recommendation to that effect from the President, postpone, by not more than forty days, the date of such election to a later date if—

- (i) the date of election coinciding with or is in close proximity of the date of election for the Lok Sabha, State Assembly or any adjacent local authority;
- (ii) a riot or open violence breaks out or there is tension in the Cantonment on account of such riot or violence; or
- (iii) some natural calamity affects the Cantonment ;

3576 68/07-7

Provided further that, in respect of items (ii) and (iii) of the preceding proviso, the President, may, if deemed necessary, on receipt of a report from the Returning Officer, adjourn the polling in any ward of the Cantonment in case—

- (a) Riot or open violence breaks out in that ward or any of the polling stations on the eve of or on the date of polling; or
- (b) some sudden natural calamity affects the Cantonment :

Provided also that on receipt of a report of such adjournment of election or polling, the Central Government may appoint the day on which such postponed election or polling will be held by publishing a notification to that effect in the Official Gazette and after the date is so notified, the President, shall notify locally, in the manner specified in this rule, the place and time of polling for the election so postponed without de novo compliance of formalities specified in the rules.

21. Polling stations and the responsibility for their management.—(1) The President shall fix such place or places as he deems fit as polling stations for the purposes of recording of votes and shall lay down the area which each polling station shall serve:

Provided that there shall be at least one polling station for each ward.

(2) The President shall appoint a person other than the Chief Executive Officer, to be a Returning Officer who shall be responsible for the proper conduct of the election, and the Returning Officer shall appoint for each polling station, a Polling Officer who shall be in charge of the voting arrangements, and be responsible for the fair conduct of the election at his polling station on the polling day.

(3) Each Polling Officer may appoint, subject to the sanction of the President, one or two assistants as may be necessary to assist him in his duties on the polling day, and for whose conduct he shall be responsible.

22. Nomination of candidate for election and appointment of election agent.—(1) A candidate for election shall be nominated by a nomination paper in Form VI.

(2) The nomination paper shall be signed by a registered elector of the ward for which the candidate proposes to stand, as proposer, and shall contain a declaration signed by the candidate that he assents to the nomination.

(3) No elector shall act as proposer for more than one candidate in a ward.

(4) Each candidate may appoint one person by power of attorney, as his election agent and such agent shall be entitled to act for the candidate unless otherwise provided by these rules.

(5) Where more nomination papers than one are presented by the candidate or on his behalf by his election agent or his proposer, the declaration as to symbols made in the nomination paper first delivered and no other declaration as to symbols, shall be taken into consideration by the Returning Officer even if that nomination paper has been rejected under the provisions of these rules.

23. Presentation of nomination papers.—(1) Every nomination paper shall be presented to the Returning Officer at the Cantonment Board office, on the day and within the hours specified in the public notice referred to in rule 20, by the candidate or his election agent or his proposer.

(2) Any nomination paper not presented within the proper hours, or presented by any person other than those referred to in this sub-rule, shall be rejected.

(3) Subject to the provisions of these rules, a candidate or on his behalf his election agent or proposer shall not present more than four nomination paper in total in the same ward.

(4) Each candidate with his nomination paper shall deposit, or cause to be deposited with the Returning Officer, a sum of rupees three thousand in cash :

Provided that where the candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe the amount of such deposit shall be rupees one thousand and five hundred only :

Provided further that where more than one nomination paper is presented, one deposit only shall be sufficient.

(5) The nomination of a candidate not accompanied by the required deposit shall be rejected.

Explanation:—For the purposes of this rule, "Election agent" means any person appointed in writing by a candidate to represent him.

24. Preliminary examination of nomination papers.—When a nomination paper is presented, the Returning Officer shall examine it and inform the person presenting it, of any points in which the nomination paper appears defective, but no failure on the part of Returning Officer to give such information and no defect or error in the information shall affect the validity of the proceedings.

25. Valid nominations and time and place for scrutiny of nomination papers.—Immediately after the hour for receipt of nomination papers is past, the Returning Officer shall draw up in Form VII, a list of candidates, excluding anyone whose nomination papers have been rejected under sub-rules (2) and (5) of rule 23, and post it at the notice Board of the Office of Cantonment Board, with notice of the time and place fixed for scrutiny of nomination papers.

26. Scrutiny of and objections to nomination papers.—(1) On the date and at the time appointed, the Returning Officer shall undertake scrutiny of the nomination papers.

(2) No person other than the candidates, their election agents and proposers shall be permitted to be present and they shall be given all reasonable facilities for the examination of nomination papers.

(3) Objections to a nomination paper may be oral or in writing and may relate not only to the form of the nomination but also to the violation or non-observance of any provision of the Act or the rules made thereunder relating to such nomination, including objections to the eligibility of the candidate to stand for election or of the proposer to nominate :

Provided that no objection to a candidate or the proposer which relates to his registration in the electoral roll and anything referred to in rule 13 shall be considered :

Provided further that any objection raised merely in regard to failure to complete, or defect in completing the declaration as to symbols in a nomination paper shall not be considered, as a ground for rejecting the nomination paper and when any such objection being raised the Returning Officer shall cause the nomination paper to be completed or defect rectified by the candidate who has filed or on whose behalf the nomination paper has been filed.

(4) The decision taken on each objection shall be endorsed on the nomination paper, and if any nomination paper is rejected, a brief statement of the reasons for rejection shall be recorded thereon and signed by the Returning Officer.

(5) If the Returning Officer is unable to undertake the scrutiny of nomination papers, it shall be undertaken by a person other than the Chief Executive Officer, an elected member or a servant of the Board, nominated by the Returning Officer :

Provided that the aggrieved party may appeal to the President against the decision of such nominee within two days of such decision.

27. Withdrawal of candidature.—(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in Form VII-A signed by him and delivered in person by him or by his election agent to the Returning Officer before four O'clock in the afternoon on the day following the scrutiny of nomination papers under sub-rule (1) of rule 26 :

Provided that if scrutiny is undertaken by nominee of Returning Officer and the person aggrieved prefers an appeal before the President, in such cases the date of withdrawal shall be the day, following the day the President decides the appeal.

(2) On receipt of such notice, the Returning Officer shall note thereon the date and time at which it was delivered.

(3) The Returning Officer shall, on being satisfied as to the genuineness of notice of withdrawal and the identity of the person delivering it under sub-rule (1), cause a notice in Form VII-B to be posted at the notice Board of the office of Cantonment Board.

(4) A candidate who has given notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) shall not be allowed to cancel the notice, or to be renominated as a candidate for the same election.

CHAPTER V

POLLS, POLLING OFFICER, THE PROCEDURE BY WHICH THE POLLING IS TO BE CARRIED OUT AND THE COUNTING OF VOTES

28. Procedure in contested and un-contested elections.—After the hour for withdrawal provided in sub-rule (1) of rule 27 has expired, if—

- (a) The number of contesting candidates in a ward is more than one, a poll shall be taken;
- (b) The number of such candidates is one, the Returning Officer shall forthwith declare such candidate to be duly elected.

29. Eligibility of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to hold seats not reserved for them.—A member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes shall not be disqualified to hold a seat not reserved for members of those castes or tribes, if he or she is otherwise qualified to hold such seat under the provisions of the Act.

30. Eligibility of women candidates to hold seats not reserved for women.—A women candidate shall not be disqualified to hold a seat not reserved for women, if she is otherwise qualified to hold such seat under the provision of the Act.

31. Publication of list of contesting candidates and publication of results of uncontested election.—(1) The Returning Officer shall draw up in Form VII-C a list ward by ward, of candidates who are standing for election and also a list of candidates, if any, who have been declared duly elected under the provisions of clause (b) of rule 28.

(2) The lists referred to in sub-rule (1) shall be published in the same manner as a notice under rule 12 and not later than twenty days before the date of poll.

(3) The names of candidates who are standing for election shall be arranged in Form VII-C in the alphabetical order and the alphabetical order shall be determined with reference to the surnames of the candidates having surnames and the names proper of other candidates.

(4) At an election where a poll becomes necessary, the Returning Officer shall consider the choice of symbols expressed by the contesting candidates in their nomination papers and shall—

- (a) allot a different symbol to each contesting candidate, in conformity, as far as practicable; with his choice; and
- (b) if more contesting candidates than one have indicated their preference for the same symbol, decide by lot to which of such candidates the symbol shall be allotted.

(5) The allotment by the Returning Officer, of any symbol, to a candidate shall be final.

(6) Every candidate or his election agent shall forthwith be informed of the symbol allotted to the candidate and shall be supplied with a specimen thereof by the Returning Officer.

32. Death of candidate before poll.—If a candidate who has been duly nominated under these rules dies after the date fixed for the scrutiny of nominations and a report of his death is received by the Returning Officer before the commencement of the poll, the Returning Officer, shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll for the ward concerned and report the fact to the President and all proceedings with reference to the election in that ward shall be commenced anew in all respects as if for a new election :

Provided that in the case of a candidate whose nomination was valid at the time of the countermanding of the poll, no further nomination shall be necessary, and it shall be sufficient if the candidate intimates in writing to the Returning Officer on or before the last of the dates fixed for receipt of nomination papers that he wishes his candidature to stand.

33. Forfeiture and return of deposits.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the deposit made by a candidate under sub-rule (4) of rule 23 shall be forfeited to the Board and credited to the Cantonment fund if at an election a poll has been taken, the candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one sixth of the total number of valid votes polled by all the candidates in the ward.

(2) The deposit made by a candidate—

- (a) whose nomination is rejected or declared invalid; or
- (b) who withdraws his candidature in the manner provided in sub-rule (1) of rule 27 and before the time stipulated therein ; or
- (c) who dies before the commencement of the poll ; or
- (d) who is elected;

shall be returned to the candidate (or in the event of his death, to his legal representative as soon as may be after the publication of result of the election under rule 51.

34. Duties of Polling Officer.—(1) Each Polling Officer appointed to keep order at his polling station, shall

see that the election is fairly conducted, regulate the number of electors to be admitted at one time, and shall exclude all other persons, except his own assistants, the candidates and their election agents, the police on duty and such persons as may be necessary for identification of voters.

(2) The Returning Officer shall provide to each Polling Officer a copy of the electoral roll for the ward of the Cantonment which his polling station serves, containing an additional column for recording the serial number of ballot papers issued and he shall also provide sufficient number of ballot boxes, ballot papers, instruments for stamping the distinguishing mark on ballot papers and articles necessary for electors to mark the ballot paper.

(3) There shall be displayed prominently outside each polling station—

- (a) a notice specifying the ward, the electors of which are entitled to vote at the polling station and, when the ward has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled ; and
- (b) a copy of the list of names of candidates with their authorized symbols.

(4) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which electors can record their votes screened from observation.

35. Ballot box and its preparation for poll.—(1) Every ballot box used at a polling station shall be so made that papers once inserted cannot be withdrawn without unlocking it.

(2) Immediately before the commencement of the voting, the polling officer shall show the ballot box empty to such persons as may be present at the polling station and shall lock it up and place a seal upon the ballot box in such manner as to prevent its being opened without breaking the seal.

(3) The Polling Officer shall also seal the key, if any, of the ballot box in such manner as to prevent its being used and keep the key sealed with him.

(4) Every ballot box used at a polling station shall bear labels; both outside and inside marked with—

- (i) the number of the ward,
- (ii) the serial number of the polling station, if there are more than one polling station in the ward.
- (iii) the serial number of the ballot box (to be filled at the end of the poll on the label outside the ballot box only), and
- (iv) the date of poll.

(5) The ballot box closed, sealed, secured and labelled as provided under this rule, shall be placed in full view of the polling officer.

36. **Use of Electronic Voting Machines.**—In case the Board decides to use electronic voting machines provided by the Election Commission, in that eventuality, the rules or instructions of the Election Commission or of any other such authority involved in conduct of elections, as the case may be, regarding use of electronic voting machines shall mutatis mutandis apply to Cantonment Board election under the control, supervision, and direction of the Returning officer :

Provided that in case elections are conducted by use of electronic voting machines, the provision under these rules regarding use of ballot paper shall not apply to the extent polling is conducted by the use of such electronic machines.

Explanation.—For the purposes of this rule, 'electronic voting machine' means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes.

37. **Ballot paper.**—(1) The ballot paper shall be printed in Form VIII in English or in the official language or in the language commonly used in the State or both, and shall indicate the names and symbols of contesting candidates.

(2) Each ballot paper shall be serially numbered on its back :

Provided that a tendered ballot paper referred to in rule 42 shall be printed on a paper of different colour which shall bear a serial number of its own.

(3) The names of the candidates shall be arranged in the same order in which they appear in the list of candidates contesting the election published under rule 31.

(4) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

(5) The candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or women shall be distinguished by placing the letter "S" or "W" circumscribed by a circle against their names.

38. **Prohibition of canvassing in or near polling station.**—(1) No person shall—

- (a) convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or
- (b) display to the public, any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus; or
- (c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto;

in any polling area during the period of forty eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(2) No person shall on the date on which a poll is taken at any polling station commit any of the following acts within a polling station or in any public or private place within a distance of one hundred metres of the polling station, namely :—

- (a) canvassing for votes; or
- (b) soliciting the vote of any elector; or
- (c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or
- (d) persuading any elector not to vote at the election; or
- (e) exhibiting any notice or placard (other than an official notice or placard) relating to election.

(3) No person shall on the date on which a poll is taken at any polling station —

- (a) use or operate within or at the entrance of the polling station or in public or private places in the neighbourhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing of human voice, such as a megaphone or a loudspeaker; or
- (b) shout or otherwise act in a disorderly manner within or at the entrance of the polling station or in any public or public places in the neighbourhood thereof,

So as to cause annoyance to any person visiting the polling station for poll, or as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of this rule shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to rupees one thousand.

39. **Voting.**—(1) Voting shall be in person.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any elector of a ward who is, by reason of his being on duty at a polling station or for other reasons of exigencies of public service, unable to be present and to vote at the polling station where he is entitled to vote, may apply by an application to the Returning Officer at least seven days before the date of the first of the dates fixed for the poll at that ward for permission to vote at the election by postal ballot.

(3) Every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll for that ward.

(4) If the Returning Officer is satisfied that the claim is just and that the applicant is entitled to vote, in the ward, he shall allow the application and permit the applicant to cast his vote at the election by postal ballot and thereupon the applicant may give his vote at such election by postal ballot and shall not be entitled to give his vote thereat in any other manner.

(5) Each elector shall have one vote only irrespective of the number of candidates.

3576 95/07-8

(6) (a) The Returning Officer shall in the case of every elector who has been permitted under sub-rule (2) to give his vote at the election by postal ballot, send by registered post to each such elector a ballot paper in Form VIII together with—

- (i) a blank declaration form in Form VIII-A;
- (ii) an envelope with the number of ballot paper entered on its face in Form VIII-B by the Returning Officer;
- (iii) a large cover addressed to the Returning Officer in Form VIII-C; and
- (iv) a letter in Form VIII-D.

(b) The ballot paper together with the declaration, envelope cover and letter shall be sent to the elector at the address given in the application made by him referred to in sub-rule (3).

(c) An elector who receives a postal ballot paper sent under clause (a) and desires to vote, shall record his vote on the ballot paper and sign the declaration in Form VIII-A and also obtain the attestation of his signature by any officer authorised in this behalf by the President, or any Magistrate to whom the elector is personally known or to whose satisfaction the elector has been identified, in accordance with the instructions contained in the letter sent with the ballot paper.

(d) The elector shall place the ballot paper in the envelope in Form VIII-B, close the envelope and enclose it with the declaration in Form VIII-A in the cover (Form VIII-C) and send the cover to the Returning Officer in accordance with the instructions contained in the letter so as to reach him before 5 P.M. on the date fixed for the poll.

(e) Any cover which is not received by the Returning Officer before 5 P.M. on the date fixed for the poll shall be rejected.

(f) All such rejected covers shall be kept in a separate sealed packet by the Returning Officer.

(g) The Returning Officer shall keep in safe custody until the commencement of the counting of votes all covers containing postal ballot papers received by him under this sub-rule.

(h) No election shall be invalidated merely by reason of an elector not having received his ballot paper :

Provided that a ballot paper has been issued to him in accordance with the provisions of this rule.

(7) The Returning Officer shall at the time of forwarding the postal ballot paper also record under his signature, the fact of issue of the ballot paper against the entry relating to that elector in the copy of the electoral roll relating to that part of the Cantonment which shall be used at the time of poll for voting by electors in person.

(8) After the ballot papers have been issued to all electors entitled to vote by post, the Returning Officer shall enclose and seal the marked copy of the electoral roll relating to each polling station in special covers and shall

hand over personally the covers containing the marked copy of the electoral roll to the Polling Officer concerned on the day of the poll.

40. **Identity of elector.**—(1) Except as hereinafter provided, every person whose name is registered on the electoral roll, and who is present and intending to vote shall be supplied with a ballot paper.

(2) The Polling Officer shall of his own accord put to each person applying for a ballot paper such question as he thinks necessary in order to satisfy himself that he is the person who represents himself to be and is entitled to receive a ballot paper.

(3) He shall also to the same end, put any further questions that may be suggested by a candidate or an election agent, who is present, and may call on and question persons who purport to be able to identify such person.

(4) Every elector, about whose identity the Polling Officer is satisfied, shall allow his left fore-finger to be inspected, by the Polling Officer and an indelible mark to be put on it.

(5) If any elector refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (4) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to remove the ink mark, he shall not be supplied with any ballot paper or allowed to vote.

(6) Any reference in this rule to the left forefinger of any elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

41. **Procedure for the supply of ballot papers and method of voting.**—(1) On satisfying himself that a person is entitled to receive a ballot paper, the Polling Officer shall—

(a) record the serial number of the ballot paper against the entry relating to the elector in the copy of the electoral roll set apart for the purpose;

(b) stamp the ballot paper with an official mark on the back;

(c) initial the ballot paper on the official mark;

(d) hand over the ballot paper to the voter, instructing him how many votes he has and how he may record his vote.

(2) Save as provided in clause (a) of sub-rule (1), no person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to particular elector.

(3) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near

the symbol of the candidate for whom he intends to vote;

- (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
- (d) show to the Polling Officer if required, the distinguishing mark on the ballot paper,
- (e) insert the folded ballot paper into the ballot box, and
- (f) quit the polling station.

(4) Every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside.

(6) If owing to blindness or other physical infirmity, an elector is unable to recognise the symbols on the ballot paper or to make a mark thereon, the Polling Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector, fold it so as to conceal the vote and insert it into the ballot box.

(7) While acting under sub-rule (6) the Polling Officer shall observe as much secrecy as is feasible and shall keep a brief record of each such instance but shall not indicate therein the manner in which any vote has been given.

42. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector named on the electoral roll, applies for a ballot paper after another person has voted as such elector, the applicant shall after duly answering such questions as the Polling Officer may put to him, be entitled to mark a ballot paper (in these rules called a tendered ballot paper) in the same manner as any other voter, but such ballot paper shall be of a colour differing from the other ballot papers and instead of being put into the ballot box, shall be taken by the Polling Officer endorsed by him with the name of the voter and his number on the electoral roll and set aside in a separate packet and shall not be counted by the Returning Officer.

(2) The name of the voter and his number on the electoral roll and the name or distinctive number of the polling station shall be entered in a list in Form IX called the tendered votes list.

(3) The person tendering such ballot paper shall sign his name on the list or affix his thumb impression thereto, and give his address.

43. Spoilt ballot papers.—A voter who has inadvertently spoilt his ballot paper so that it cannot be used by him as such, may on delivering it to the Polling Officer and satisfying him of the inadvertence, obtain another ballot paper in place of the spoilt one, the latter being marked as cancelled and such ballot papers shall be kept in a separate packet.

44. Challenging of identity.—(1) Any candidate or his election agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of one hundred rupees in cash with the Polling Officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the Polling Officer shall—

- (a) warn the person challenged, the penalty for impersonation :
- (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry :
- (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form X : and
- (d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The Polling Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
- (b) put to the person challenged any questions necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the Polling Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting;

(5) If the Polling Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the Board, and in any other case he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

45. No challenge for a mistake committed in the bonafide exercise of one's duty.—No election of a candidate shall be challenged merely on the ground that the Polling Officer in the bonafide exercise of his duties has wrongly permitted or refused an elector permission to vote, as a result of proceedings under any of the provisions of rules 40, 42 and 44.

CHAPTER VI

CONCLUSION OF POLLING, RESULT OF ELECTION AND CUSTODY OF ELECTION PAPERS

46. Closing of poll.—(1) At the time fixed for the conclusion of polling, the Polling Officer shall close the polling station, and shall not thereafter admit any elector into the polling station :

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether any elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Polling Officer and his decision shall be final.

47. Ballot boxes and other papers to be sealed and forwarded to the Returning Officer.—(1) As soon as

practicable after the closing of the poll, the Polling Officer shall, in the presence of such of the candidates and their election agents as may be in attendance, close the slit of the ballot box and where the box does not contain any mechanical device for closing the slit, seal up the slit with his own seal and also allow any candidates or their election agents as may desire to affix their seals.

(2) The Polling Officer shall also attach the sealed key, if any, to the ballot box and shall also enclose in separate packets and seal up in the same manner :—

- (a) the tendered ballot papers,
- (b) the unused ballot papers,
- (c) the spoilt ballot papers,
- (d) the marked copy of the electoral roll,
- (e) the tendered votes list,
- (f) the challenged votes list.

(3) (i) The packets shall be clearly marked with the name or number of the polling station and number of the ward and the number of its contents, and, together with the ballot box or boxes, and key thereof shall be forwarded without delay to the Returning Officer.

(ii) The Polling Officer shall forward a list of articles despatched to the Returning Officer and shall also forward details of accounting for the ballot papers and tendered ballot papers received by him and their issue.

48. **Counting of votes.**—(1) The Returning Officer shall, the same evening, or the next morning, as may be convenient, at the time announced by him, undertake the counting of votes and may appoint to assist him such persons as may be necessary.

(2) No person shall be appointed to assist in the counting, who has been employed by or on behalf of any candidate for any purpose whatsoever connected with the election.

(3) The only person allowed to be present, apart from those persons referred to in this rule, shall be the candidates and their election agents.

49. **Opening of ballot boxes, scrutiny of ballot papers and counting of votes.**—(1) The ballot box or if more than one ballot box is used for each polling station, such box or boxes as the case may be, shall be opened separately, and the Returning Officer shall take out the papers there from distributing them for counting as he thinks fit, care being taken that where there is more than one polling station for a ward, the ballot boxes relating thereto shall be opened at the same time or immediately following one after another, keeping the papers taken out from each such box in a separate heap.

(2) The Returning Officer shall scrutinise every ballot paper kept in different heaps under sub-rule (1).

(3) The Returning Officer shall reject a ballot paper—

- (a) if it bears any mark on writing by which the elector can be identified; or

- (b) if no vote is recorded thereon; or
- (c) if votes are given on it in favour of more candidates than one; or
- (d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given, or
- (e) if it is a spurious ballot paper; or
- (f) if it is damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
- (g) if it bears a serial number, or is of a design different from the serial number, or as the case may be, the design, of the ballot paper authorised for use at the particular polling station; or
- (h) if it does not bear the official mark which it should have borne under the provision of clause (b) of sub-rule (1) of rule 41.

Provided that where the Returning Officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a Polling Officer the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect :

Provided further that the ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(4) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (3), the Returning Officer shall allow each candidate or his election agent present, a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(5) The Returning Officer shall record on every ballot paper which he rejects, the letter and the grounds for rejection, in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp.

(6) The Returning Officer shall bundle together all the rejected ballot papers under this rule and then count or cause to be counted the valid votes given to each candidate on the ballot papers :

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

(7) After counting of all ballot papers contained in all ballot boxes used at a polling station has been completed, the Returning Officer shall make the entries in a result sheet in Form X-A and announce the particulars. .,

(8) The valid ballot papers shall then be bundled together and kept along with the bundle of the rejected ballot papers in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the following particulars, namely :—

- (a) The name of the ward;

- (b) The particulars of the polling station where the ballot papers have been used; and
(c) The date of counting.

50. Scrutiny of postal ballot paper and counting of votes.—(1) After scrutiny and counting the ballot papers found in ballot boxes has been completed, the Returning Officer shall deal with the postal ballot papers in the manner hereinafter provided.

(2) No cover in Form VIII-C shall be opened and no vote contained in any such cover shall be counted by the Returning Officer if received after the expiry of the time fixed in this behalf under clause (d) of sub-rule (6) of rule 39.

(3) The other covers shall be opened one after the other and as each cover is opened the Returning Officer shall scrutinise the declaration in Form VIII-A.

(4) If the declaration referred to in sub-rule (3) is not found or has not been duly signed and attested or is otherwise substantially defective or if the serial number as entered in it differs from the serial number endorsed on the envelope containing the postal ballot paper, that envelope shall not be opened and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper therein contained.

(5) Each envelope so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form VIII-C and all such covers in the said Form shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the ward, the date of counting and brief description of its contents.

(6) The Returning Officer shall place all the declaration forms in Form VIII-A which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any envelope containing the postal ballot paper is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (5).

(7) The envelopes (Form VIII-B) containing the postal ballot papers not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after the other and the Returning Officer shall scrutinise each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(8) A postal ballot paper shall be rejected—

- (a) if no vote is recorded thereon; or
(b) if votes are given in favour of more candidates than one; or
(c) if it is a spurious ballot paper; or
(d) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
(e) if it is not returned in the envelope sent along with it to the elector by the Returning Officer.

(9) A vote recorded on a postal ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given.

(10) A vote recorded on a postal ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicated on the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(11) The Returning Officer shall record on every ballot paper which he rejects the letter 'R' and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp.

(12) The Returning Officer shall count or cause to be counted the valid votes given to each candidate on the postal ballot papers and record the total thereon in the result sheet in Form X-A and announce the same.

(13) All the valid ballot papers and all the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the ward, the date of counting and a brief description of its contents.

51. Results of polling.—(1) After the counting has been completed and result recorded in Form X-A, the Returning Officer shall prepare a return in Form XI of the results of polling and he shall also declare to be elected the candidates to whom most valid votes have been given:

Provided that if there is equality of votes between any two or more candidates in a ward, the Returning Officer shall after such notice as may be necessary to the candidates concerned decide by drawing lots which candidate he shall declare to have been elected.

(2) The Returning Officer shall also simultaneously publish the return showing the results of election in Form XI in the same manner as the notice in rule 12 and also cause the same to be published in a local newspaper.

52. Transmission of documents, etc. to the Chief Executive Officer for safe custody.—The Returning Officer shall, immediately after the declaration of the results of poll, forward to the Chief Executive Officer—

- (i) the sealed packets referred to in sub-rule (2) of rule 47,
(ii) the empty ballot boxes and their keys, if any,
(iii) the lists of articles referred to in clause (ii) of sub-rule (3) of rule 47 received by him from the Polling Officers,
(iv) account of ballot papers and tendered ballot papers referred to in clause (ii) of sub-rule (3) of rule 47,
(v) the sealed packets referred to in sub-rule (8) of rule 49.
(vi) all unopened cover in Form VIII-C referred to in sub-rule (2) of rule 50 enclosed in a sealed packet, the contents thereof being marked outside.
(viii) the sealed packets referred to in sub-rules (5), (6) and (13) of rule 50.

35 TG CE/07-9

53. Custody and preservation of ballot boxes and papers.—(1) The Chief Executive Officer shall preserve for a period of one year all article sent to him under rule 52 after which, unless the President sees good reason to the contrary, he shall, except for the ballot boxes, destroy them.

(2) While in custody of the Chief Executive Officer, the ballot papers (whether valid, rejected or tendered) shall not be opened, inspected or produced anywhere except under orders in writing of a competent court or of the Officer enquiring into an election petition.

(3) All other documents in such custody shall be open for public inspection under the same conditions as other cantonment documents which may be inspected by the public.

CHAPTER VII

ELECTION PETITION AND DISPUTE

54. Election petition.—No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with these rules.

55. Officer to whom the petition should be presented.—A petition calling in question the validity of an election or the return of a particular Candidate may be presented in writing to the District Judge of the district within which the election has been held (or where there is no District Judge to such Judicial Officer as the State Government may appoint in this behalf) within seven days after the date on which the result of the election was declared, either by a person who was a candidate at the election or by not less than five persons entitled to vote at the said election :

Provided that no such petition shall be presented on the ground either that the name of any person qualified to vote has been omitted from the electoral roll or that the name of any person not so qualified has been inserted in the roll.

56. Deposit of security.—(1) Every petition shall be accompanied by a deposit of three thousand rupees in cash as security for the costs likely to be incurred :—

Provided that where such petition relates to the election of a candidate belonging to the Scheduled castes or the Scheduled Tribes, the amount of such deposit shall be one thousand and five hundred rupees only.

(2) At the conclusion of the dispute, the deposit or, if the petitioner has been directed under rule 58 to pay costs, the balance, if any, of the deposit after deduction of those costs, shall be refunded to the petitioner.

57. Inquiry into election.—Where a petition has been presented under rule 55 and the security deposited as required by rule 56, the District Judge or the officer appointed in accordance with rule 55, or any Judicial Officer subordinate to him and not below such rank as the State Government may by notification in the Official Gazette in this behalf to whom the District Judge may transfer the

petition, shall after notice to all candidates for the ward concerned at the election (other than such of them as may be petitioners) hold such inquiry as he deems necessary.

58. Powers of inquiry officer.—For the purpose of any inquiry referred to in rule 57, the inquiry officer may summon and enforce the attendance of Witnesses and compel them to give evidence as if he were a Civil Court, and may also direct by whom the whole or any part of the costs of the inquiry shall be paid and such costs shall except to such extent as they may be directed to be recovered from the deposit made under rule 56, be recoverable as if they had been awarded in a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

59. Grounds for declaring election void.—If in the opinion of the inquiry officer—

- (a) the election has not been a free election by reason of the general employment of bribery or undue influence within the meaning of Section 171B or Section 171C of the Indian Penal Code (45 of 1860), or the result of the election has been materially affected by—
 - (i) the commission of a corrupt practice; or
 - (ii) the improper acceptance or refusal of a nomination paper; or
 - (iii) the improper reception or refusal of a vote; or
 - (iv) the failure to comply with any provision of the Act or these rules,

he shall set aside the election.

- (b) the election of a candidate has been procured, induced or aided by a corrupt practice by such candidate, but the election has not been otherwise materially affected, he shall declare the election of such candidate to be void and shall pass an order amending the declared result of the election accordingly.

60. Decision of the inquiry officer to be final.—The decision or order of the inquiry officer under rule 59 shall be final.

61. Penalty for Commission of corrupt practice.—If after an inquiry under rule 57, the inquiry officer is satisfied that a corrupt practice has been committed in connection with the election by any person, he may, if he thinks fit, declare such person to be disqualified from being a candidate in any election to any Cantonment Board for a period not exceeding five years; and such declaration shall be final :

Provided that the Central Government may, if it thinks fit, at any time relieve such person from such disqualification.

62. Effect of notification of public holidays.—Notwithstanding anything contained in these rules, if any day, on which any act or proceeding is posted or intended, to be done or taken, is notified to be a public holiday for the purposes of Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) or is notified by the State Government

to be a holiday for the Government offices in the State, then, that act or proceeding shall be done or taken on the next succeeding day which is not a public holiday.

FIRST SCHEDULE

[See rule 5]

Cantonments	Approximate Percentage of Scheduled Caste or Scheduled Tribe population to total population
Cantonments which have to elect 8 members	12%
Cantonments which have to elect 7 members	14%
Cantonments which have to elect 6 members	16%
Cantonments which have to elect 2 members	50%

SECOND SCHEDULE

FORMS

FORM I

[See rule 10]

Electoral roll for Cantonment
Part Ward No.

Serial No.	Name	Age	Father's name or Husband's name	Address in full
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

FORM I-A

[See rule 11]

LETTER OF REQUEST

Place

Date

To

The occupant of.....

.....Cantonment

Dear Sir/Madam,

The preparation of the Electoral roll for Ward No. of thecantonment in which you are resident has been taken in hand. It will greatly facilitate my work if you will kindly complete the statement given below after reading the attached instructions and hand it over to my assistant who will call for it.

Yours faithfully,

Chief Executive Officer

STATEMENT

Name and particulars of adults residing in the above premises.

Name	Particulars as to father or husband	Age on 1st March, 20
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

etc.

Signature

Date

INSTRUCTIONS

1. The names of all persons who have completed 18 years of age on or before 1st March of this year and who are ordinarily residing in the premises should be entered.

2. Only the names of those who are continuously residing in the Cantonment for a period of not less than six months immediately preceding 1st March should be entered.

3. Enter against serial No. 1 in the column (1), the name of the head or other senior member of the family, provided he or she has the qualification mentioned in paragraphs 1 and 2.

4. In the case of every male resident, enter column (2), the name of his father preceded by the words son of.

5. In the case of every female resident enter in column (2)—

(i) The name of the husband preceded by the words 'wife of' if she be married:

(ii) The name of the late husband preceded by the words 'widow of' if she be a widow, and

(iii) The name of the father preceded by the words 'daughter of' if she be unmarried.

6. In column (3), enter the age of the person as accurately as possible, giving only the number of complete years and ignoring the months.

FORM II

[See Rule 12]

NOTICE TO FILE CLAIMS AND OBJECTIONS

The preliminary electoral roll of voters for the Cantonment..... is open to inspection at the Cantonment Board Office daily between 11 A.M. and 4 P.M. upto 15th August.

2. Any person who claims to be entered in this roll and who is not entered therein or is entered in an incorrect place or with incorrect particulars may put in a claim

addressed to the Chief Executive Officer to have his name entered, or the registry corrected, as the case may be.

3. Any person whose name is borne on this roll and who objects to the inclusion of his own name, or that of any other person whose name is on the roll, may prefer the objection addressed to the Chief Executive Officer.

4. Claims shall be preferred in Form III and objections in Form IV or Form IV-A appended to this notice and must be signed by the claimant or objector or by his duly authorised agent; copies of the forms will be supplied free by the Chief Executive Officer on application.

5. Claims and objections may be presented to the Chief Executive Officer at any time during office hours or sent by post but it must reach him within twenty days of the date of issue of this notice.

6. Claims and objections which are not preferred in the proper form or are not received by the date prescribed will be rejected.

7. All claim and objections received in time and in proper form will be heard byat.....on.....
Date : President

FORM III

[See Rule 13 (2)]

CLAIM APPLICATION FOR INCLUSION OF NAME

To,

The Chief Executive Officer
..... Cantonment.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the Ward No.of the Cantonment.

Name (in full)

Father's/Mother's/Husband's Name.....

Particulars of my place of residence are—

House No.

Street/Mohalla.....

Ward Number.....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief—

- (i) that I am a resident of Ward No.of the Cantonment and that I have been continuously residing in the Cantonment for a period of not less than six months immediately preceding 1st March.....
- (ii) that my age on the first day of March last wasyears andmonths.
- (iii) that I am resident at the address given above and am eligible for registration as an elector.
- (iv) that I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other ward of the cantonment.

(v) that my name has not been included in the electoral roll for any other ward.

or

that my name has been included in the electoral roll for Ward No: of the Cantonment under the address mentioned below, and if so, I request that the same may be excluded from the electoral roll of the said ward.

.....
Signature or thumb impression of the claimant

Place

Date

I being an elector whose name is included in part of the electoral roll under Serial No. support this claim and countersign it.

.....
Signature of the elector Name (in full)

FORM IV

[See Rule 13 (3)]

OBJECTION TO INCLUSION OF NAME

To,

The Chief Executive Officer
..... Cantonment.

Sir,

I object to the inclusion of my name/the name of Serial No. in part of the electoral roll for Ward No. of the Cantonment for the following reason (s)—

.....
I hereby declare that the facts mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Name has been included in the electoral roll for this ward as follows—

Name (in full)

*Father's/Husband's/Mother's name.....

Serial No.

Part No.

.....
Signature/thumb impression of objector

Date(full postal address).....

I being an elector whose name is included in part of the electoral roll under Serial No. support this objection and countersign it.

.....
Signature of the elector Name (in full)

*Strike out inapplicable portion.

FORM IV-A

[See Rule 13 (4)]

OBJECTION TO PARTICULARS IN ANY ENTRY

To,

The Chief Executive Officer

..... Cantonment

Sir,

I submit that the entry relating to myself which appears at Serial No. in Part Ward No. of the electoral roll as "....." is not correct. It should be corrected to read as follows :

.....
.....

Signature/thumb impression of elector

Place

Date

FORM V

[See Rule 15]

LIST OF CLAIM AND OBJECTION

- (a) The following persons have put in claims to be registered as electors (or to have the registry of their names corrected) on the roll for Ward No. of the cantonment.

Ward No.	Name of claimant	Address
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

- (b) The following objections have been received regarding entries in the roll for the Cantonment.

Ward No.	Name of objector and number on roll	Name of person objected to and number on roll
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

- (c) The following corrections have been made by the Chief Executive Officer of his own motion in the roll

3576 GJ/07-10

for Ward No. of the Cantonment.

Ward No.	Number on roll	Nature of corrections
1	2	3

The above claims and objections will be heard (and corrections finally considered) by on at

*Strike out inapplicable portion. Chief Executive Officer

FORM VI

[See Rule 22]

NOMINATION PAPER

Election for the Cantonment Board to be held on

(To be filled by the Proposer)

I hereby nominate as a candidate for election from Ward No. at the election referred to above.

1. Full name proposer

2. Electoral roll

Number of proposer

Ward No.

Roll No.

Part No.

3. Name of candidate's Father/husband

4. Full postal address of candidate

5. Electoral roll No. of candidate.

Ward No.

Roll No.

Part No.

Date

Signature of Proposer

(To be filled by the Candidate)

I, the above mentioned candidate, hereby declare that to the best of my knowledge and belief I am eligible for election as a member of the Cantonment Board and assent to this nomination. The symbols I have chosen are in order of preference.

(i)

(ii)

(iii)

Date

Signature of candidate

Further declaration to be made by a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe candidate

I hereby declare that I am a member of the
 *caste/tribe which is a Scheduled Caste/Tribe of the State of in relation to (area) in the State.

Dated

.....
 Signature of candidate

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper

This nomination was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer/election agent.

Date Returning Officer,

*Strike off one of the alternative as necessary.

FORM VII

[See Rule 25]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES.

Election to the Cantonment Board

Sl. No.	Name of candidate	Name of **father/husband/mother	Address of candidate	Ward for nominated
1	2	3	4	5

Note.—The nomination papers will be taken up for scrutiny at (time) on the (date) at (place) Date

.....
 Returning Officer

** Strike out in-appropriate alternative.

FORM VII-A

[See Rule 27 (1)]

NOTICE OF WITHDRAWAL

Election to the Cantonment Board

I

(To be filled by the candidate)

To,

The Returning Officer

Cantonment Board election

Cantonment.

I a candidate nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place

Signature of candidate

Date

II

(To be filled by the Returning Officer)

The notice was given to me at (hour) (date) by (name) candidate/election agent.

Returning Officer

Date

III

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidate by candidate at the election to the Cantonment Board from ward No. was delivered to me (hour) on (date).

Returning Officer
 Seal

Date

FORM VII-B

[See Rule 27(3)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURES

Election to the Cantonment Board

Notice is hereby given that the following candidate/candidates at the above election withdrew his/their candidature today.

Name of candidate	Name of father/mother/husband	Address of candidate	Ward for which the candidate had been nominated
1.			
2.			
3.			

Date

Returning Officer
 Seal

FORM VII-C

[See Rule 31]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the Cantonment Board

on

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	Ward for which nominated	Symbol allotted
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

..... Cantonment

Date

Returning Office

FORM VIII

[See Rule 37]

Ballot paper

Name	(S)	(W)	(Symbol)
Election to the Cantonment Board (Name of Cantt.) Ward No.20.....			
(S) indicates Scheduled Caste/Tribe candidates		(W) indicates Women candidates	
Name	(S)	(W)	(Symbol)
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

Back of ballot paper
Print here serial number

FORM VIII-A

[See Rules 39 (6) (a) (i)]

DECLARATION BY ELECTOR

Election to the Cantonment Board Ward No.

I hereby declare that I am the person whose name appears as elector number on the electoral roll for Ward No. to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the above election and that I have not voted in the election for this Cantonment.

Place

Date

Signature of elector

Address

Attestation of signature

The above has been signed in my presence by (Elector) who is personally known to me/ has been identified to my satisfaction by

Signature of identifier, if any.

Signature of attesting officer
Name (in block capital letters)

Designation.....
Address

Date

Address

.....

.....

FORM VIII-B

[See Rules 39 (6) (a) (ii)]

Envelope

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

(a) Election to the Cantonment Board
Ward No.

POSTAL BALLOT PAPER

Serial number of ballot paper

FORM VIII-C

[See Rules 39 (6) (a) (iii)]

Cover

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

(b)

Election Immediate

Cantonment of

POSTAL BALLOT PAPER

Election to the Cantonment Board

Ward No.

To

The Returning Officer,

Cantonment of

..... Ward

(Address of Returning Officer)

..... Cantonment

FORM VIII-D

[See Rules 39 (6) (a) (iv)]

FORM OF LETTER OF INTIMATION AND INSTRUCTIONS TO ELECTOR

Cantonment of

Election to

..... Ward.

Dear Sir/Madam,

1. The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith have been nominated as candidates for the election to the Cantonment Board of ward should you desire to vote at this election, I have to request that —

- (a) You will record your vote by placing a 'X' mark (clearly) on the ballot paper on or near the symbol opposite to the name of the candidate for whom you wish to vote. The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote will be invalid.
- (b) You shall not given more than one vote.
- (c) After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the envelope marked

'A' sent herewith, close the envelope and secure it by seal or otherwise.

- (d) You will then sign the enclosed declaration in Form VIII-A in the presence of an attesting officer who shall attest only your signature, but not your vote which you should not record in the presence of the attesting officer. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how you have voted.
- (e) You will then place the closed envelope marked 'A' and the duly attested declaration form, in the cover Marked 'B' addressed to me and return the cover to me by prepaid post or by messenger so as to reach me before 5 P.M. on the day of 20.....

2. The number of the members to be elected is one only.

3. Cover returned by post on which the postage has not been pre-paid will not be received by me.

4. The officers who are empowered to attest the ballot paper are (1) or (2) any stipendary Magistrate.

5. Your number on the electoral roll for Ward is You should insert this number in the declaration Form VIII-A.

Yours faithfully,
Returning Officer

To

Shri/Smt.

Address

Date

FORM IX

[See Rule 42]

TENDERED VOTES LIST

No. on electoral roll	Name	Address	Signature of elector if literate or thumb impression of elector if illiterate with signature of witness

Ballot paper marked

D.

FORM X

[See Rule 44]

LIST OF CHALLENGED VOTES

No. on the electoral roll	Name	Address	Signature of elector if literate or thumb impression of elector if illiterate with signature of witness

FORM X-A

[See Rules 49 and 50]

FINAL RESULTS SHEET

ELECTION

To the Cantonment Board.....
from Ward No.....

Polling station	Sl. No.	Name	Number of valid votes cast in favour of			Valid Votes	Rejected Votes
			A	B	C		

Total votes for polling station REMARKS

Total number of votes recorded at polling station

Number of votes recorded on postal ballot papers.

Total votes polled

Place

Date Returning Officer

FORM XI

[See Rule 51]

***RETURN SHOWING THE RESULTS OF THE ELECTION FOR THE CANTONMENT.**

Ward No.	Names of candidates	Number of valid votes received	Candidate declared to be elected
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

I do hereby declare that the candidates whose names are entered in column 4 have been duly elected.

Returning Officer

*Entries in column (1) and (2) are merely illustrative.

[F. No. 10(20)/2007/D(Q & C)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.